

SHRI P. RAMAMURTI : I am addressing the Speaker. I have got the right to address the Speaker. I am addressing you, Sir, Sir, you have to protect me.

MR. SPEAKER: You may address me but do not ask any questions.

SHRI P. RAMAMURTI : Sir, it is for you to decide. I want you to exercise your judgment in this case and decide whether this matter should not go to the Privileges Committee and whether his explanation can be accepted. Here he says that Shri Umanath was covered by "Today in Parliament". If he goes through these bulletins he will find the same people have been covered both in this as well as in the news coverage several days. Therefore, the news coverage is entirely different from "Today in Parliament". When you cover the entire debate, the fact that on one particular day you did not mention the name of a person does not matter. But this debate lasted for four days and during those four days this was the only party which was not mentioned at all among the participants. For instance, in the second day it is mentioned here that a number of speakers referred to the law and order situation and the Opposition Congress said that if the State Governments undertake the nationalisation of industries the whole economy would be disrupted. Even there you could not mention that a member of the Communist Party (Marxist) participated in the debate, even if you do not wish to give his name. For AIR the mention of the word "Communist Party (Marxist)" is an anathema and the Minister is not prepared to express even a regret for that. He tries to give an explanation that is something else. The news bulletin is different from "Today in Parliament". Many people do not listen to "Today in Parliament". News bulletin is listened to by the entire people. I want to know why it has not been covered there.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: I had accepted that.

श्री कंबर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ़ आर्डर है। आप सब लीडर्स आफ़ जपोबीशन को बुला कर इस की इन्क्वायरी कराइये। मेरे पास एक ऐसी टाक है जिस में एक पार्टी को मलाइन किया गया है। यह बहुत गलत बात है, बड़ा गम्भीर मामला है।

MR. SPEAKER : No point of order.

DR. RAM SUBHAG SINGH: Regarding this matter of Shri P. Tharyan being invited to make a broadcast over the AIR, I want this matter to be gone into. The AIR must be made to stop inviting such people . . .

MR. SPEAKER: This subject is over.

12.55 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS 1970-71

MINISTRY OF HOME AFFAIRS—Contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs. I would like to bring it to the notice of the House that only 3 hours and 40 minutes now remain. How much time does the Home Minister require to reply?

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): This is a very important debate. The time should be extended and the Home Minister should reply tomorrow.

MR. SPEAKER : Will you kindly resume your seat?

श्री ओंकार लाल बोहरा (चित्तौड़गढ़) : मान्यवर, सदन का समय बढ़ाइये।

अध्यक्ष महोदय : एक आदमी हर वक्त कैसे इतना सर खपा सकता है। आप थोड़ा सा मुझपर रहम कीजिये। मुझे तो सब के साथ निपटना पड़ता है, बड़ी मुश्किल है।

The Minister has agreed to reply tomorrow.

SHRI RANDHIR SINGH: That is what I wanted.

MR. SPEAKER: So, you have got a big triumph.

श्री कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, इस से दूसरी डिमान्ड में गड़बड़ हो जायगी। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था कि हर डिमान्ड पर विवाद होगा, वह निर्णय लागू होना चाहिये। अगर इस तरह से आप समय बढ़ाते जायेंगे, तो और डिमान्ड्स पर डिस्कशन नहीं हो पायेगा।

अध्यक्ष महोदय : एक तरफ कहते हैं समय बढ़ाओ और दूसरी तरफ कहते हैं न बढ़ाओ ।

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peer-made): If you are going to extend the time in this way right from the beginning, we will be forced to guillotine the demands of many Ministries. We have to go by the report of BAC.

MR. SPEAKER: It is for the House to decide. If the House wants, the Home Minister can reply even today; I have no objection.

MR. SPEAKER: There are almost four hours left and up to 6 O'clock we will finish this. Later on we have to take up the other discussion. If they do not want to extend the time on this Demand, I would request every Member to consider his own case. I have such a big list from both sides. Then they should not press for any time for any Member from any party.

श्री कंचर लाल गुप्त : जिस पार्टी का जितना समय है उतना ही समय दिया जाय, और सवा पांच बजे मिनिस्टर जवाब दें ।

SHRI RANDHIR SINGH: We want the Minister to reply tomorrow.

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : यह बड़ी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है इस पर बहुत समय लगेगा । तो यही मान्यवर, फ़ैसला हुआ कि मिनिस्टर कल जवाब देंगे? ०

MR. SPEAKER: That is all right. The Home Minister will reply tomorrow. Shri K. K. Chatterjee may continue his speech.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI (Howrah): Mr. Speaker, Sir, yesterday when I started my speech I began by quoting a few lines from the report of the Home Ministry for the year 1969-70 from which it was quite evident that our Home Minister was fully aware of the fast deteriorating law and order position throughout the country. Shri S. K. Patil who, until the other day, was a minister of the Congress Party was fully aware that the law and order question was purely a

State subject and that any undue interference by the Centre at this stage of our delicate relationship with the States was fraught with all kinds of dangers. Therefore, the Centre was exercising caution in the matter of dealing with the law and order situation in the States.

It was very hypocritical on the part of Shri S. K. Patil to condemn defections in a sarcastic way. Was it fair for him to condemn defections when he himself had crossed the floor of the House only a few days ago? But I have a different opinion about these defections. These defections, according to me, are a symptom of the confusion prevailing in the political life of the country. They may ultimately lead to fruitful complete polarisation in the political field. This polarisation may, after all, counteract the danger that is facing parliamentary democracy in the country today.

Socio-economic forces are responsible for the tension and violence prevailing in the country. The Home Minister is determined to fight this out by removing the causes that create these social and economic tensions in different parts of the country. I will remind this House of the solemn warning given by the great apostle of non-violence, the Father of our Nation, Mahatma Gandhi. In his memorable words he said:—

"Economic equality is the master-key to non-violent independence. Working for economic equality means abolishing the eternal conflict between capital and labour. It means the levelling down of the few rich in whose hands is concentrated the bulk of the nation's wealth on the one hand and the levelling up of the semi-starved naked millions on the other. A non-violent system of government is clearly an impossibility so long as the wide gulf between the rich and the hungry millions persists. The contrast between the palaces of New Delhi and the miserable hovels of the poor labouring class nearby cannot last one day in free India in which the poor will enjoy the same power as the richest in the land. A violent and bloody revolution is a certainty one day unless there is voluntary abdication of riches and the power that riches give and sharing them for the common good."

MR. SPEAKER: He may continue after Lunch.

13 Hours.

Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRIMATI SUSHILA ROHATGI in the Chair]

DEMANDS FOR GRANTS, 1970-71—
Contd.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: Mr. Chatterji.

SHRI KRISHNA KUMAR CHATTERJI: Madam Chairman, I was just placing before the House the solemn utterances of Mahatma Gandhi, the last sentence of which is this:

"A violent and bloody revolution is a certainty one day unless there is a voluntary abdication of riches and the power that riches give and sharing them for the common good."

Horrifying social and economic injustices, the appalling poverty of the people and the ever-increasing unemployment in the country have generated discontent of an explosive nature. Our Prime Minister and her worthy colleague, our Home Minister are both trying to push on with certain measures to fight out these evils which may one day endanger our national security. It is no wonder that the Naxalites and the Communists are trying to thrive on the woes and miseries of the people and in that process, Madam, all human values that are cherished in India are being slaughtered.

In this context I have to plead for more financial allocation for the Central Reserve Police Force. They are quite inadequate and they will be called upon in the near future to fight out in the various parts of the country anti-social and anti-national forces and to safeguard our national security and to see that the socialist objectives of the country are realised quickly so that the country may go through a peaceful progress. Nobody in this House will deny that no developmental progress is possible in an atmosphere of bitterness and horror.

With regard to corruption that is prevailing in the administrative machinery, I have one word to say. In the 78th Report presented to the House by the

Estimates Committee on Central Bureau of Investigation, they point out that many of the complaints of the CBI cases are lying with the Ministries and the Departments of Government for a long time without any justice being done or action being taken. At page 85 the Committee says:

"The Committee are deeply concerned to note the large number of Central Bureau of Investigation cases pending with the Ministries/Departments for disciplinary action; quite a substantial portion of these have been pending for a long time. Apart from the fact that delays in disciplinary proceedings whittle down the deterrent effect of punishment, the more prolonged the proceedings the greater is the difficulty experienced by the witnesses and greater still is the hardship to the public servant involved."

The CBI investigation in the States cannot get the co-operation from the State Police. On this point the Committee has said on page 11:

"The Committee feel that the possibility of a divergence of opinion between the CBI and the State Police is inherent in the existing administrative understanding and working arrangement even though some guidelines have been laid down in regard to the type of cases to be handled by the CBI and communicated to State Governments. The fact that no difficulty in this regard has been felt so far does not rule out this contingency in future."

Therefore, I wish to remind the Home Minister about this fact that for better co-ordination between the CBI and the State Police a process has to be evolved so that we can get their co-operation. I would recall that in the Eastern Region of India the agents of Pakistan and China are very active, particularly, in my State of West Bengal. In that connection I have to remind our Home Minister that the Central Intelligence Services have been found wanting and we have to improve its working if we have to meet the challenge.

Then, Madam, with regard to the Border Security Forces, I would point out that the measures so far taken are inadequate to meet the challenge of the times. Unless the border is properly

Protected we will not be able to control the anti-national and anti-social activities prevailing in India. They are in such a volume already that it will probably be difficult for us to control this even if we exercise the greatest of caution. I would therefore plead with the Home Minister that the Border Security Forces have to be very much strengthened and also they should be provided with modern equipments, so that they can properly do their functions.

Then I wish to draw the attention of the Home Minister to the subject of the Bureau of Public Enterprises and their functions. It has been pointed out in the Report of the Estimates Committee that although the Bureau of Public Enterprises holds a panel of top executives, they have no such panel for the middle and junior executives who can be pooled in case of need. This should be attended to.

There is one more thing to which I wish to draw the attention of the Home Minister. That is, in the prevailing circumstances in West Bengal, we should deal with the situation in such a way that President's rule must be stabilised there and there should not be any question of mid-term election before peace is restored there. The people are still in a panic and terror and therefore things have to be stabilised there before we think of mid-term poll.

With these words I conclude.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): Madam Chairman, the Home Ministry's arena of operations is a very vast one, practically covering half of the Government of India's. It is not possible in this limited time at my disposal to make a comprehensive assessment of its multifarious activities, but the thing that depresses me most is one which is quite alarming. In this Report which the Ministry has brought out I find no attempt being made at a Central assessment of the problems which are worrying everybody. Here in this House this has been expressed in the speeches of so many hon. Members. That is to say, over the last year, has the general trend been in the direction of strengthening the forces of national integration or is the trend going the other way? Are the other forces which are working for disintegration of various kinds gaining the upper hand? There

is no answer to this in this Report. Everything here is given in a very compartmentalised way. There is no general assessment made whatsoever. I would like to point out, Madam, if we are to think over it ourselves, though it is a depressing admission, we do find that the forces of disintegration seem to be growing and they are gaining the upper hand. This is the most alarming thing about it. Everybody has got his own remedy or diagnosis for this thing. Many people talked about violence and different manifestations of violence which are also on the increase. But, as far as I understand it, this violence is only a symptom. Violence in different forms is a symptom—it is not the basic cause of the trouble at all. The basic cause is something else and that should have been dealt with. These aspects have been referred to earlier by many speakers. For example take the question of Centre-State relations. I don't want to dilate on that. Have those relations become more harmonious or more strained? If they are becoming more strained then it devolves upon the Government of India seriously to apply its mind so as to bring about new changes in the structure of present Centre-State relations so that these tensions can be relieved and the pressures which are coming from the States for a further measure of decentralisation and for much greater share of powers must be attended to more seriously than it is being done so far.

Then, about the border disputes, several speakers have dealt with this point at length and I do not want to go into it, though I want to say one thing. There is no consistent principle or democratic solution being pursued consistently by the Government. A formula was laid down long time back about the basis or unit being taken as the village. Contiguity of territory and the language which prevails, the majority language, should be made the basis.

But we find in the various cases which have come up before us that no consistent principles are being followed by Government. What is being followed is political expediency. And once you replace principles by political expediency, then all sorts of opportunist trends are bound to creep in. That is what is happening now. In the case of regional disparities they are born out of economic imbalances. And all sorts of chauvinistic trends are growing. But

[Shri Indrajit Gupta]

there is some basis. The vast masses of people are feeling frustrated. Youth are feeling frustrated. Unemployment is growing. Causes of student and youth unrest which often manifest themselves in the form of some regional outbursts are not tackled seriously. They are not even discussed in any report that the Home Ministry gives.

Madam, the Shiv Sena has been invested with a halo of respectability now by the Ministry. Last year they created a commotion in Bombay which everybody decried. This year there was another commotion. All the powers that be, from the Home Ministry to the Maharashtra Government and to the Millowners in Bombay, everybody was prepared to conspire and collude with the Shiv Sena so that the whole city could be held to ransom. Shiv Sena has now attained respectability. What is the basis on which it rests except the worst kind of chauvinism and the worst kind of provincial hatred that is being fanned up by them?

In to-day's news-papers I find a report—I am sorry to state it—that the ruling party in Maharashtra is consulting the High Command as to whether they can enter into a Municipal Election pact with the Shiv Sena. How can you fight these tendencies of disintegration if political expediency is allowed to rule the roost like this? In this Gandhi Centenary year I need not remind you of what we have witnessed. Probably we witnessed one of the most barbarous and worst communal disturbances or riots in the city of Ahmedabad. We have witnessed probably a number of most savage and bestial pogroms—I will call it pogroms as it used to be called at one time—carried out against the poor Harijan population in many parts of the rural countryside in our country. What I wish to say is that the Government is drifting about this question. Violence is only an outward symptom of this basic malady. The Government is drifting and the Government is compromising itself by following an opportunist path and I say it is unfair to put any blame on the National Integration Council or to criticise it. It has been reduced to a sterile nullity by the fact that it is not backed up by a proper administrative and legal action by Government. What can the National Integration Council do except to issue pious

appeals and by expressing well-intentioned sentiments? Unless it has the support of government in the form of firm legal and administrative action the National Integration Council can never do anything.

The reason why I am stating this is that once you allow these unprincipled practices and this opportunist and political expediency to gain an upper-hand in all these different fields, even the remaining part of our system which was supposed to be above all these things, namely the judiciary—the administration and legislatures, are already infected—will also be affected. I say we are reaching that stage and I warn the Home Minister that, he will not even be able to keep the judiciary fully insulated from this infection. The infection is beginning in a small way now. But it is beginning to penetrate into the so-called sacred realms of the judiciary. Somebody has raised a demand that certain Supreme Court judges for their improper conduct should be impeached. Some very eminent jurists are throwing up their hands in horror and shock. They are horrified and shocked to hear such a suggestion. The Supreme Court judges after all are men. If they are departing from well-established and accepted principles of jurisprudence and are violating certain well-established conventions, then nobody throws up their hands in horror and shock. I am referring of course to the controversy that is raging at the moment over the conduct of certain Supreme Court judges in the recent Bank Nationalisation Act which was struck down by the Supreme Court. This Act was struck down on the ground of the compensation principle being unfair and wrong, and it was found—I am not suggesting that these facts were kept hidden or undisclosed, so it was known—that two of the Honourable Supreme Court Judges were shareholders of some of these nationalised Banks, and therefore had an interest, direct or indirect, in the compensation which was going to be awarded by the Act. But they continued to sit on that Bench. My question is on the ground of impropriety and nothing else. I want to know if the Government defends the conduct of the Judges in this case. Should they not in all propriety have voluntarily withdrawn from the Bench which heard this case when they were themselves shareholders in the banks?

I do not want to take up much time, and I do not want to educate the Home Minister, because he knows much more about this than I do, but there are so many authorities on the subject which have said beyond a shadow of doubt as to what should be the position in such cases. May I quote just one or two?

Lord Campbell, Chief Justice of England has said:

"No one can suppose that Lord Cottenham—Lord Cottenham was the Lord Chancellor who sat in judgement in a case when he was a shareholder in a company which was concerned in that case—

"... could be, in the remotest degree, influenced by the interest that he had in this concern; but it is of the last importance that the maxim that no man is to be a judge in his own cause should be held sacred. And that is not to be confined to a cause in which he is a party, but applies to a cause in which he has an interest."

Lord Cave, another notable Justice said:

"If there is one principle which forms an integral part of the English law, it is that every member of a body engaged in a judicial proceeding must be held to act judicially; and it has been held over and over again that, if a member of such a body is subject to a bias, whether financial or other, in favour of or against either party to the dispute or is in such a position that a bias must be assumed, he ought not to take part in the decision or even to sit upon the tribunal."

These are all well-established principles laid down. Nearer home, our own Justice Gajendragadkar has said, I am quoting one of his observations:

"It is an elementary rule of natural justice that a person who tries a cause should be able to deal with the matter before him objectively, fairly and impartially. As has been observed in the Jewitt's Dictionary of English Law, 'anything which tends or may be regarded as tending to cause such a person to decide a case otherwise than on evidence must be held to be biased.' If a person has a pecuniary interest in the case brought before him, that is an obvious case of bias which disqualifies him to try the causes."

Lastly, one more quotation I will give you from Lord Esher. Lord Esher held:

"... The doctrine which is applied to judges, not merely of the Superior Courts, but to all judges, that, not only must they be not biased, but that, even though it be demonstrated that they would not be biased, they ought not to act as Judges in a matter where the circumstances are such that people, not necessarily reasonable people, but many people, would suspect them of being biased."

These are the well-established principles known to everybody and Mr. Chavan, I am sure, but the Government has remained silent. I want to know what their opinion is. In the court it was admitted that these two Judges of the Supreme Court who sat in the Bench which heard the appeals against the Bank Nationalisation Act were shareholders in those Banks. Was it not proper for them voluntarily to have withdrawn themselves? They did not do so. I see that some people are saying, because there is a talk going round of impeaching these two Judges and already over a hundred Members of Parliament have signed a petition to that effect, that politics is being introduced into the Supreme Court. I say that it is exactly the reverse. If the highest traditions, noble traditions, of the Supreme Court are to be upheld, it is by such vigilance of the Members that it can be done. It is the Judges who are allowing themselves to be infected by the general atmosphere of political expediency and opportunism, it is they who have introduced politics by the backdoor. This is the main point that I would like to make.

The other point is regarding the abolition of the privy purses. The report says that a Bill is being prepared and is to be brought before the House, and then, it says—I quote:

"Details of transitional arrangements to enable the former rulers to adjust themselves to the changed circumstances are being worked out."

That means some sort of scheme is being prepared. I would like to know from the hon. Minister, because rumour hath it that the Cabinet which is discussing this matter at first considered that wealth-tax should be levied in the case of these ex-rulers on at least one

[Shri Indrajit Gupta]

building which is declared to be the official residence of that ruler. They may be owning ten buildings, but if one building is declared to be the official residence, wealth-tax should continue to be levied at least on that building and that on the purse income-tax should be levied. After that, some consolidated amount or something should be given to them by way of relief. But now, the report goes—I would like to know from him whether it is right or wrong—that there is a great deal of pressure being exerted to see that these people are exempted totally from both wealth-tax and income-tax. Also, I have heard that a scheme is being prepared under which an amount of Rs. 100 crores or more, with interest on the bonds, should be paid as compensation to these rulers. I want to know what is the position. In the name of abolishing the privy purse, are the common people of this country going to be saddled with another huge burden? They are not going to pay for this. I would warn the Government. Compensation in the case of the banks came to Rs. 80 crores or Rs. 85 crores. If the Government are preparing to pay again over Rs. 100 crores as compensation to these ex-rulers for the privilege of becoming the ordinary citizens of this country, the ordinary people of this country are not going to be saddled with this burden. I would like to know what is the exact position, and I would like to tell the Government that when they bring the Bill, if the Bill is not accompanied by a scheme, the scheme for transitional arrangements which will allow them “to adjust themselves to the new situation”—very nice language and that means there is a scheme—we will not support it. That scheme should come along with the Bill. If the Bill is presented to us minus any scheme, we will not be in a position to support it.

My last word to the Minister would be in his capacity as the employer versus the employees. 6,000 people are still facing prosecution in the courts, because of the strike of 19th September, 1968. They have condoned the break in service. But I would like to request him to be a little more generous and take steps to see that these cases are dropped. Although their service-break has been condoned, their promotion according to seniority and confirmation have been held up in their case, and the whole order of promotion,

etc. has got upset. Therefore, I would plead for the normalisation of their position and would request him to see that these people, the strikers, whose service-break has been condoned now are not in anyway made to suffer on account of due promotion, seniority and so on.

Thank you.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Mr. Chairman, when Mr. S. K. Patil spoke yesterday, he primarily referred to boundary disputes that we are facing in various parts of the country. He started saying that he did not believe in the linguistic reorganisation of the States in the country. But then he again said that he wanted that the recommendations of the States Reorganisation Commission should have been accepted in toto. This has some contradiction which I could not understand, because he probably forgot that the States Reorganisation Commission had recommended the reorganisation of the administrative units in the country on linguistic basis. If the hon. Member was opposed to linguistic States, I do not understand how he wanted that the entire recommendation of the Commission should have been accepted. He pleaded for two in the same speech like that. Again, he started by saying that there should have been more respect shown to the recommendations of the Commissions and the kind of political decisions we took should not have been taken on such matters. He also went on saying that such matters should be referred to the Supreme Court for their decision. As we all know, the Supreme Court is primarily for adjudicating in matters of law, to interpret law and lay down case law by interpreting them. The forum for political decision or for political administration of the country is this hon. House. I do not know how we can refer such political matters to the judicial courts. I think it would be completely against the scheme of our Constitution if such matters were to be referred to the judicial forums. We all know that unless the decision of the government has evoked a measure of acceptability in the parties or in the region it is often necessary for us to come back to this House and change those decisions. I want to remind Shri Patil that even where the unanimous recommendations of the States Reorganisation Commission were accepted by the

government without any change, ultimately Parliament had to change those decisions because those decisions did not evoke that measure of acceptability which is necessary when such matters are decided and implemented.

I will remind him of the case of Punjab. The SRC did not want Punjab to be divided, but ultimately this House had to take a decision to divide that State. In the case of the erstwhile State of Bombay the recommendation of the SRC was that a bilingual State should be formed. Though that bilingual State was formed, ultimately that decision had to be changed by Parliament because the people affected by the decision did not accept that. I am mentioning these things only to prove that the solution does not lie in accepting the recommendations of commissions, however high and mighty they may be, without any concession and without accepting the political responsibility which any government of the day has to accept.

Therefore, the criticism of Shri Patil that the government has created these boundary disputes and that the government is responsible for it is absolutely wrong.

SHRI SHEO NARAIN (Basti): Then who is responsible for it?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: If you listen to me carefully, you will understand it.

We know that when India was conquered by the British, the administrative units in the country were created, not on any rational or logical basis but they were created on the basis of conquests; as they went on annexing various parts of the country, they formed certain administrative units here and there. Even before independence, the Indian National Congress, which then represented the will and the consensus of the country, had adopted a resolution saying that after the attainment of freedom, India shall be divided on a linguistic basis and the administrative units of India will be carved out on a linguistic basis.

What was the rationale behind it? The rationale was very simple. India during slavery was administered in English, which was not the people's language. It is a plain and simple thing to see that after independence in

the democratic constitution and framework that we have adopted for ourselves it is absolutely necessary and compulsory that the administration of various administrative units of the country has to be carried on through the people's language. And if the people's language had to be used in the administrative units, only one language could possibly be used in a proper manner. If one language had to be used, this decision about linguistic reorganisation had to be taken.

We know what passions this linguistic question has given rise to in our country. I must give a compliment to those who were in-charge of this matter then, that they took a series of wise decisions and they organised the various administrative units on linguistic basis, and since then we have been trying to conduct the administration of these units in the people's language. We have had success in certain areas; in certain areas we have not succeeded. But to say that this decision was wrong, I do not accept that and I do not see how any political leader of eminence can oppose the linguistic States. As a matter of fact, linguistic States fortify the unity of the country. They do not give rise to any tendencies for division. Those who say English is serving as a link language and it would preserve the unity of the country should remember that English is only understood or spoken by less than 2% of the people of this country and this has happened after 200 years of domination of those people who wanted to impose English on this country. This shows the unfortunate past and this shows the predicament we have in our political life. In the Union we have adopted two official languages—English and Hindi.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi): We have only adopted Hindi and we have tried to bring English from the backdoor.

SHRI ANBAZHAGAN (Tiruchengode): It was actually English which was there for so long.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash): What is the language of the State which is being inaugurated today?

MR. CHAIRMAN: Order, Order.

SHRI G. VISWANATHAN: It is English.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Because of historical reasons we have to take two official languages in the country. We have also to consider that there is a large chunk of our population which does not know Hindi which is our official language and it is our bounden duty to see that these people whose mother-tongue is not Hindi are given a chance to participate in the national affairs in the language in which they can understand and use. It is our established policy that there shall be no imposition of Hindi either directly or indirectly, and the promise that was given by the late Prime Minister Pandit Jawahar Lal Nehru that there would be a statutory recognition of this right of the non-Hindi speaking people of the country has been given effect to.

We have provided by law of this Parliament that English shall continue to be used in our country for the business of the Union Government as long as the last of the non-Hindi speaking States by a resolution in its Assembly desires the use of English to be discontinued. Till then English has to be used.

Apart from that we have also ensured that every employee of the Central Government is allowed to work either in Hindi or in English. There would be no imposition or compulsion on any Government employee of the Central Government to work either in Hindi or in English. They are completely free to work in the language that they choose. This has also been enshrined in the law of this Parliament.

The various measures that we have taken also show that anybody whose mother-tongue is not Hindi would be able to get into the services of the Union without any difficulty or disadvantage to him. Here I would recall the Resolution that this House passed which enjoined upon the Government to see that all the 14 or 15 official national languages of the country, which are mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution, would henceforth be used for recruiting persons to the highest services of the Union Government through the Union Public Service Commission. I am glad to say that the first such examination has been held by the UPSC in which candidates were given the freedom and the option to use any of the languages for two compulsory papers. According to the interim information that we have received from the UPSC it appears that about

10 per cent of the candidates, who appeared in the examination, utilised this concession in the first year. I am happy about this figure although there are obvious difficulties in appearing in an examination in two media, two papers to be answered in one language and the other papers to be answered in another language. That really causes a great deal of difficulty and disability to the candidate. Still, it shows how people are utilising these facilities which are being given. I want to assure the House that it is Government's established policy that on the basis of language nobody will be discriminated against and promotional prospects, working facilities or anything of the kind in the Central Government shall not be affected just because one belongs to a particular language group.

Before I pass on to other subjects, I would like to revert back to the subject of border disputes. There is one small thing that I omitted to mention and that was the current dispute between Maharashtra and Mysore.

SHRI SHEO NARAIN: Leave it for the Home Minister.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: This is a subject which I have been dealing with since the time I entered the Home Ministry in 1966. In our work allotment order, fortunately or unfortunately, this subject had been assigned to me before Shri Chavan came to the Home Ministry. This is a matter of record.

SHRI ANBAZHAGAN (Tiruchanode): When did the trouble start?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: The trouble started before Shri Chavan came into the Home Ministry.

The dispute is a very complicated dispute. I do not have to show how complicated it is; hon. Members of the House know how complicated this dispute is. To solve this dispute in an amicable and proper manner we will have to take very sound and very rational decisions.

SHRI YOGENDRA SHARMA (Begurarai): What is the basis on which you are trying to solve it?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: When passions are excited it is not very easy to solve these things rationally and on a logical basis.

AN HON. MEMBER: Principled basis.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: The Hon. Member knows that we have utilised principles to solve a dispute between Tamil Nadu and Andhra. The Tamil Nadu-Andhra border dispute has been settled on the basis of certain principles. Those principles could be utilised only if the parties concerned agreed to those principles. When there is no agreement on principles, it is difficult to apply . . .

SHRI YOGENDRA SHARMA: You apply the same principles here.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: The difference between the case of Tamil Nadu and Andhra and that of Maharashtra and Mysore is that, whereas, there, the Chief Ministers had agreed to certain set of principles to be applied, here, in spite of the best efforts, the two Chief Ministers have not been able to agree on any basis or on any set of principles on which this dispute could be solved.

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : दो स्टेट्स का सवाल ही कहाँ है ? वहाँ के लोगों से पूछना चाहिए ।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I would request him to ask a question after I have finished.

SHRI SHEO NARAIN: He should give a reply; he should have come prepared.

MR. CHAIRMAN: Mr. Sheo Narain, please stop this running commentary now. You don't have the right.

SHRI SHEO NARAIN: I have the right. We have a right to put questions.

MR. CHAIRMAN: I request you not to interrupt again. You do not have the authority unless it is given by the Chair.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I was saying that, when we try to solve the question on the basis of negotiation, when we want to settle it on the basis of. . . (Interruption)

SHRI SHEO NARAIN: You should control them also.

MR. CHAIRMAN: You should not dictate to me.

SHRI SHEO NARAIN: You should control them also.

MR. CHAIRMAN: I would again request you not to interrupt. You should not interrupt again.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I was saying that various attempts at an agreement have so far failed. I am not saying that there is no desire for an agreement between the parties. But the main difficulty is that this is a very very complicated and ticklish problem. When we started to look at it again, we thought that it was impossible to either fully accept the recommendations made in the Mahajan Commission Report or to fully, totally, reject them.

श्री योगेन्द्र शर्मा : लिग्विस्टिक प्रिसिपल्स एप्लाई कीजिए । सब मामला ठीक हो जायेगा ।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: It is not possible either to fully accept what the Mahajan Commission Report says or to fully, totally, reject it. Therefore, we wanted to talk about this matter. The hon. Prime Minister was in touch with the respective Chief Ministers and she talked to them on the basis of certain provisional proposals that she had evolved. This negotiation is going on. I cannot indicate how long it will take before we can reach the end of the problem. But one thing I can make clear before the House, that we shall keep on endeavouring to reach a solution which will have the maximum acceptability with the two parties.

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga): I think, the Minister is not giving a proper version. The Mysore stand has been that the recommendations of the Mahajan Commission's Report should be fully accepted.

MR. CHAIRMAN: You will have a chance to speak later. You can do that later.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I have already mentioned that it is not possible for us to apply those principles. We will be very happy to apply those principles. Those principles are very clear which could be applied. But I can tell the hon. Member, unless the Chief Ministers agree on a set of principles, it is impossible to apply those principles. . .

SHRI YOGENDRA SHARMA: That is the problem. You are concerned with the Chief Ministers. We are concerned with the principles. Here, you are running away from the principles. That is the difficulty.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We are not running away from the principles. We are concerned with the agreement and the solution of the problem and, by whatever means we can do, we will try to get the solution of the problem.

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Minister confine himself to the principles now.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I would mention something about the Union Territories. When Mr. C. C. Desai was speaking yesterday, he mentioned about the oil potential of Andaman and Nicobar islands and the potential of those islands for the development of tourist traffic and the development of a free port there. All these matters have engaged our attention earlier and the Oil & Natural Gas Commission has started surveying the area. That survey has not yet been completed. I suppose it will take about 2 years before the survey is completed. About other matters he mentioned like the development of free port and the development of tourist facilities there, the hon. House knows that these islands have very great strategic importance. If the security angle is not compromised, we can consider all these suggestions. But if the security caution is involved, we cannot compromise the security angle and take steps in the islands to develop them for tourist purposes. We want to develop these islands to the extent it is possible, but the security angle, as I was saying, will have to be kept in the fore.

Certain hon. Members have mentioned about the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Services. We have answered several questions in this hon. House in the past few months indicating the new steps we have taken to increase the reservation and making the reservation more effective. As a matter of fact there was no difficulty about reservation as such. The difficulty mainly arose in filling these vacancies by competent and appropriate candidates. Various difficulties in this

regard have been faced by us. The new decision that we have taken, particularly, about carrying over these vacancies for more period than before would help it.

In the case of All India Services, opening of some training institutes has helped a lot and now for the last few years we have been able to completely fill the vacancies in the All India Services and the Central Services which were reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We have also taken a decision to revise the reservation quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services on the basis of the census figures. These new reservations will be announced shortly.

Certain hon. Members had spoken about the All India Services. As the House knows, in the Chief Ministers' Conference a decision was taken in 1961 to create certain All India Services. Mr. Kandappan, when he was speaking yesterday, questioned the propriety of basing our decision on the recommendations made by the Chief Ministers in the 1961 conference. I may remind him that whatever we have done and whatever we are now doing is not based only on the recommendations of the Chief Ministers' Conference of 1961; but on the basis of those recommendations the Parliament considered this matter and the Parliament took certain decisions. An Act was passed and a resolution was adopted by the Rajya Sabha regarding this matter and on the basis of this parliamentary direction and the law passed by Parliament we have taken steps to create these All-India Services. Indian Forest Service has been created. Indian Engineering Service is about to be notified. The draft Rules and Regulations have been sent to the UPSC for approval and vetting. As soon as we receive them, we shall notify the constitution of the All India Service of Engineers. About the Indian Health and Medical Service, it is also in an advanced stage of being constituted. We have had certain communications or letters from State Governments where they have expressed certain reservations. One or two States wanted to opt out of the I. H. and M. Service which they joined before. We are now considering this entire matter and we will take a decision. In view of the representations and letters that we have received from various States we have to see whether we have to proceed with the new All-

Services or not. The decision will be taken shortly.

श्री योगेन्द्र शर्मा : पब्लिक सेक्टर के लिये इण्डियन इकानामिक सर्विस क्यों नहीं बनाते हैं ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: There are various other things that are under consideration regarding the public undertakings.

श्री योगेन्द्र शर्मा : इण्डियन इकानामिक सर्विस भी क्या कन्सीडरेशन में है ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Madam Chairman, Mr. C. C. Desai while he was speaking yesterday mentioned about the privileges of the ICS officers and he referred to the points made regarding deletion of Article 314 to remove the privileges that have been given to ICS officers. The hon. Member, Shri Madhu Limaye has moved a non-official Bill regarding this matter. Mr. C. C. Desai's point was that Parliament was not competent to make any legislation to do anything about it. The advice that we have received from the Law Ministry is that Parliament is perfectly competent to legislate or take any action on it. This is the limited point of Mr. Desai's speech that I wanted to answer.

Then, the last point that I want to mention here is regarding the strike of the Government employees and here, the honourable House knows certain decisions that have been taken to normalise the situation and I am glad to say that the situation has almost come back to normal. There are some cases pending in the courts of law which we have not withdrawn. But those people who are facing these cases in the courts of law have been reinstated and they have been allowed to go back to work. It is our intention to see that nobody is unnecessarily harassed and nobody is punished without a verdict being given against him.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Is there any re-thinking about Delhi policemen also?

AN HON MEMBER: What about detention?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We have announced this earlier also. If there are cases in which there is no

evidence those cases will be withdrawn. We have withdrawn several cases in which we found that evidence against those people were not sufficient. But where there is evidence and it is seen that there is a sufficient evidence against those people, it will be difficult for the Government to withdraw such cases. It would be best if these cases are gone through quickly and then appropriate action taken. As the hon. Members know, out of 3 lakhs of employees, now there are a few left who are facing the cases in the court of law and who have not been reinstated in the Services. But we are going to review the entire position and we will see what can be done in the matter. (Interruption)

Shri Madhok was asking me about the Delhi Police.

15 hrs.

श्री रणधीर सिंह : हम सभी पूछते हैं, सारे ही इस में इन्टरस्टेड हैं ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : हम लोग पूछते नहीं हैं, हम निवेदन करना चाहते हैं—अपने कर्मचारियों से मुकदमेबाज न बनिये, सुहृदय बनिये ।

श्री रणधीर सिंह : इन्होंने पहले एलान कर दिया वह सफीशिप्ट है । बाद में होम मिनिस्टर साहब से हम और क्लैरिफिकेशन चाहेंगे ।

. . . (व्यवधान) . . .

SHRI PILOO MODY (Godhra): Whatever happens don't mention my name.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: All the hon. Members of Parliament have been raising this matter in this House and outside this House. A few days back, I had mentioned that we were having a new look at the case. We are examining this matter again. We shall really redress their grievances. I have also stated that we shall take a decision about this matter which will please the hon. Members who have been raising this matter from time to time.

SHRI PILOO MODY: No question of pleasing.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: What is the specific proposal; we want to know?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I would request the hon. Member not to press this matter. Let us solve this problem as amicably as possible.

श्री कंबर लाल गुप्त : बुलाकर बात करिएना, एकतर्फी मत करियेगा ।

SHRI INDRAJIT GUPTA: Let him say one word about government employees with regard to their seniority, promotions, confirmations etc. When will they be normalised?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We shall look into that.

श्री एस० एम० जोशी : मैं आपकी इजाजत से एक क्वैरिफिकेशन चाहता हूँ । आपने बताया है कि दो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको एबी करना चाहिए लेकिन मैं तो बुनियादी सवाल उठा रहा हूँ कि जब हमने लोकतंत्र को माना है तो दस लाख आदमी जो हैं उनकी राय लेनी है या नहीं लेनी है? जितना डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ के लोगों की राय लेने के लिए आप तैयार ह या नहीं कि कौन मैसूर में जाना चाहते हैं और कौन इधर रहना चाहते हैं?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमें इस बात को बहुत ही प्रैक्टिकल दृष्टि से देखना पड़ेगा । जोशी जी जिन सिद्धान्त की बातों का जिक्र कर रहे हैं उनसे काम चलने वाला नहीं है । इस तरह की बातें करेंगे तो पता नहीं कितने सालों तक यह मामला चलेगा । . . . (अवकाश) . . . दोनों पार्टियों को मिलाकर दोनों से बातचीत करके ज्यादा से ज्यादा जो समझौता हो सकता है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं । सिद्धान्तों को लागू करना मुश्किल है यद्यपि अगर हम सिद्धान्तों को लागू करें तो सबसे अच्छा फैसला हो सकता है लेकिन जब सिद्धान्तों को लागू करने की स्थिति न हो तब हम क्या कर सकते हैं ।

MR. CHAIRMAN: Shri Badrudduja.

SHRI BADRUDDUJA (Murshidabad): Madam Chairman, at the outset, I add my feeble voice to the chorus of

condemnation from all sections of the House of the dastardly attempt on the life of Shri Jyoti Basu and brutal murder of Ali Imam. The cult of violence and the hymn of hatred that has been systematically preached with impunity over the years has not only resulted in these attacks on individuals, but has also led to holocausts all over the country, resulting in horrible scenes of carnage and bloodshed which have disgraced the fair name of secular India. If the State administrations and the Central Government had adopted stern measures betimes, combated, resisted, thwarted and crushed the forces of darkness and destruction, the subversive elements in the country, if they had meted out condign punishment to miserrant officials and non-officials alike—, these unfortunate happenings would have been things of the past. The administration, however, miserably failed to rise to the occasion with the result that holocaust, after holocausts, genocide after genocide and devastation of properties on a large scale occurred all over the country.

Madam, I congratulate the Central Government in one respect that they took an objective assessment of the recent developments in West Bengal. They arrested the drift and saved the fast-deepening crisis in Bengal. Unfortunately, however, the Governor of West Bengal has come in for scathing condemnation on the floor of this House. I do not hold any brief for the Governor, nor do I know anything about the secret parleys he might have had with the Home Minister or the Prime Minister at Delhi before he recommended President's Rule in the State. It has been insinuated that the voice is the voice of Jacob, but the hand is the hand of Yasu. I do not know if the Governor on his own initiative or on the advice of the Central leaders recommended President's Rule in West Bengal. Whether he did it on his own initiative or on the advice of others, he has done a very great service to much-distracted, much-agitated, much-distressed West Bengal. People of all classes and conditions in West Bengal including the hapless Muslim minority there has heaved a sigh of relief. Bombs have been unearthed these days, culprits have been rounded up and arrests are taking place. And it is so encouraging to see that the Governor of West Bengal rushed to the scene of disturbances after that tragic incident at Burdwan on the 17th March

to soothe the troubled heart of the unfortunate mother before whose presence two of her darlings were butchered and massacred in cold blood.

How I wish he went a step further and ordered a judicial enquiry into the communal killings at Naihati and Bansbania in Hooghly district, and also ordered a judicial probe into the more heinous, more ghastly incidents of deliberate, calculated murder in 24-Paraganas in the village Madhusudan Porc, where at the instigation of a local MLA belonging not to the CPM, but to such a constituent unit of the United Front, a mob was egged on, set upon six Muslim owners of paddy fields on the plea of robbing, looting and plundering the standing crops, and these owners of paddy land and two other youngmen, who had accompanied them were torn to pieces, limb by limb, cruelly butchered and massacred. The police were there, but no action was taken against the miscreants, not even against the MLA even when the Home Ministry was in the saddle, the whole thing was hushed up. It pains me very much to say this:

“खूँारे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले”

I have been all praises for the Communist friends, particularly for the CPM. Even now there are many friends among them with whom my relations have ever been so cordial. They stood by us in the hour of our greatest need. In 1964, 1965 and 1967, on three occasions, both the wings of the Communist party stood by the Muslims in a way which no other party in the whole of India did. That inspired confidence in us. It is not for nothing that I struggled, suffered, and almost risked my life in rallying round the banner of the United Front by far the largest Muslim voters in West Bengal for the first time in 1969 during 22 long years, which tilted the scales heavily against the Congress. But unfortunately we have been disillusioned so soon.

Madam we owe a deep debt of gratitude to the ex-Chief Minister Shri Ajoy Mukherjee for taking a courageous stand in ending the wretched show when he could not mend it. Madam I was at the birth of the United Front, naturally I was very much interested in its growth, expansion and development

to the fullest stature. When he (Shri Mukherjee) announced that he was going to resign on the 16th March, I rushed to Calcutta and discussed with him all about the development in West Bengal. I was closeted with him for about an hour I urged him to explore all possible avenues for settlement of the vexed problem, for a *reapproachment* I told him to bide his time and postpone the day of reckoning. He replied, more in sorrow than in anger, that he was no longer to remain a silent spectator of the horrible excesses, wanton loot, plunder, murder of innocents, and even molestation of mothers and sisters. He said he must end this. And for this magnanimous act he has earned the gratitude of the people of West Bengal.

Madam, President's rule has now been imposed. Attempts are being made to restore the United Front and avenues are being explored for forming an alternative Government. I do not know how long it will take for normal conditions to be restored, but the longer the President's rule continues, the better for us. It is much more important for us that we must have a stable government, a cleaner government, a more dependable government, a more efficient government, a government sympathetic to the aspirations and responsive to the demands of the people, a government that can inspire confidence in the public mind.

Madam, I have a conviction, not an impression, that Communism has come to stay as a mighty force all over the world. It has swept across the continents like an elemental force, representing, as it does the urges of millions of have-nots all over the world. I believed that Communism had a future in India also. Madam, I am not a communist myself. I do not believe in the Communist philosophy of life, in its policy of regimentation, a philosophy of life that denies political freedom, social freedom, cultural freedom, religious freedom, freedoms of all kinds and denominations. It negates all values—spiritual and moral upon which the structure of human civilisation has been reared up. It denies even the existence of God. But, Madam, behind the shimmering sea, the rushing wind, the vast illimitable ocean green verdure underneath, the star-spangled sky overhead and the beautiful sights and sounds of Nature, behind the laws of gravitation, correlation, conservation of energy, and

[Shri Badrudduja]

causation; behind the deepest throbbings of the human heart, the burning aspirations of the human soul, the innermost urges of the human mind, there is a Power that throbs in every constitution, pulsates every atom, regulates and guides all existence, shapes the destinies of the human race and controls the growth and evolution of the universe and the systems of universes through all eternity.

And yet, we rallied round the banner of the Communists, in the hope that perchance they might come to our rescue, perchance they might come to our relief. I told some of our Communist friends including Shri Jyotimoy Basu, M.P. with whom my relations have been so cordial, "For God's sake, do not go so fast. Do not try to impose your will upon the whole State of West Bengal. There are also other progressive parties in the land, representing considerable volume of opinion. Grab by all means, loot by all means, plunder by all means, benami properties, but do not rob the poor agriculturists owning two bigas, three bigas, four bigas or 10 bigas of land, in the name of unearthing benami properties." I made this observation more in sorrow than in anger.

Madam, Now the Communists (Marxist) have isolated themselves, in West Bengal. Nine constituent units of the United Front were opposed to the formation of an alternative Government by Shri Jyoti Basu, the leader of the Marxist Party; the ruling Congress also ranged against them. 165 members in a House of 280 were opposed to them when formation of an alternative Government by Shri Jyoti Basu was being discussed and mooted by the Governor of West Bengal.

Madam, this is the unfortunate position there. Today I look upon the ruling party of India for guidance. For the first time, during the last 22 years, I have voted with this Government on many occasions. Since December, 1941 I have never joined any party. I broke away from the Muslim League on the issue of partition, lined up with the progressive forces and formed a coalition Ministry, with my leader, Mr. Fazlul Haq as Chief Minister, and Dr. Shyama Prasad Mukherjee, leader and founder of the Jan Sangh, as Finance Minister.

We fraternised with the great Hindu Community, forming a government with the leading lights of both the communities. I expected that after Independence our friends, who were at the helm of affairs, would extend to us the same sympathy and consideration.

“ब तजिल्लो मन तशावताजे लो मन तशा
व बे यदिल खंर अला कुल्ले शइन क्दीर”

(وَتَعَزَّيْتُمْ مِمَّا تَزَكَّوْا مِنْ أَشْرَارِهِمْ بِغَيْرِ
مَنْعَةٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ -)

Madam, Providence alone can raise one to the highest position. Mr. Chavan, you are today at the helm of affairs. Minorities look up to you for guidance, for quarter, for shelter, for recognition, for appreciation, for encouragement, for facilities for opportunities, for self-expression in every sphere of life, every domain of thought, every field of activity.

Madam, there are noble souls in the Congress, noble souls in the various sections of the House, some noble souls in the Jan Sangh, as well who are full of sympathy for us. But unfortunately, some of them are out to Indianise us. Madam, we are Indians; we have been born and brought up in India. Our great forebears and leaders, that brilliant galaxy of stars like Ali Brothers, Maulana Abul Kalam Azad, Maulana Hasan Ahmed Madani, Mzhar-Ul-Huq and Hazrat, Mohani shed an ineffable lustre on the political and cultural firmament of modern India, contributed so much in the struggle for independence and with their lofty idealism and burning patriotism, with their services, and sacrifices, with their vision, and imagination, with their sobriety of judgement and serenity of temperament, contributed to the political, the social and the cultural evolution of the mother land. Madam, we are not to be Indianised. Who could think of Indianising us when 80 million Muslims, ancestors with a great past, with a great history, with a great culture and cultural hegemony behind them contributed so magnificently to art, architecture, music, painting, philosophy and polity of India for centuries together?

I am not a believer in the theory of quantitative determination of human destiny. I can never persuade myself to

believe that arithmetical calculations and mathematical computations will determine human culture, human civilisation, human ideas, thoughts and aspirations. How can a sensible man believe that 51 per cent of even undersirable people, not by virtue of their superior wisdom and sagacity, not by virtue of their superior vision and imagination, not by virtue of their services and sacrifices, not by virtue of their significant contributions to the political and social life of the country, but by sheer force of numbers will impose their will upon millions of people who constitute only 49 per cent, may be linguistic, may be political, may be religious minorities? Madam, God declares in the Quran:

“लकव कतवना फिज निमवादिस जिक्के
इनल्ला अर्दा मूरोमुहा इवादिस सालेहुन” ।

(لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِنَ الذِّكْرِ مَا لَا آتَيْنَا
بِيدٍ غَيْبًا الْعِبَادَ الْأَشَاقِطَةَ)

“I have laid down in the Gospels that it is not by virtue of sheer force of numbers, it is not by totalitarian dictatorship that you are going to rule the roost or boss the show. Only well-meaning men like Mahatma Gandhi, men like Chitta Ranjan Das of revered memory, men like Asoka, men like Sher Shah Suri, men like Nasiruddin who by their unimpeachable integrity of character, mental catholicity, charity of outlook and their noble urge for the welfare of millions, will alone rule the world. Madam, the character of an administration is, to my mind, immaterial, whether it is bureaucratic, theocratic, democratic or even autocratic, provided the men at the helm of affairs are men of vision and imagination, men of lofty idealism, of mental catholicity, men of burning patriotism, men who inspire confidence in the public mind.

Mr. Chavan, I look up to you. Unfortunately, however, you have not played the game. But even now you have a great future because you are the biggest party. It is the great leader of your party, one of the greatest men in the modern world, Mahatma Gandhi, declared in the Nagpur Session of the Congress “I am a man of peace, I believe in peace, but I do not want that brand of peace which is in a piece of stone or in a grave; I want that peace which is imbedded in the human breast,

exposed to the arrows of the whole world, protected from all harm by that Almighty God”. This peace has got to be established and if need be, Shri Chavan will have to wage war against the forces of reaction, may be against Baddruduja, may be against Indrajit Gupta, will have to wage war against reactionary forces, the anti-social elements, anti-national elements, anti-secular elements, till they are crushed out of existence. For God's sake, do not hesitate there.

Unfortunately, however, the Congress did not play the game during these years. When the riots broke out in 1964 and when in 1965, in the wake of the Indo-Pakistan conflict, hundreds and thousands of innocent Muslims were thrown behind the prison bars, I thought that the game of Congress was up. At no distant date the Congress was thrown out lock, stock and barrel from West Bengal, Madras and Kerala and the Muslims contributed the most to the debacle of the Congress in these States. I would, therefore, appeal to the Congress Opposition and the ruling Congress to pause and consider. The Congress is the only party which had 50 years of leadership in India and 20 years' domination in the country. If you played the game, no other party could step in.

Madam, my hon. friends of the Communist persuasion might disagree with me when I say that I do not believe in a class-less society. We too belong to a class; we constitute a class which has contributed the most towards world civilisation and culture. We have produced the greatest teachers, philosophers, thinkers, statesmen, nation builders and administrators. We have contributed so magnificently to the cultural, political, social, moral and spiritual advancement of the entire human race. We do not want to be eliminated; we refuse to be eliminated. You have to provide all opportunities and facilities to the mazdoor, Kisans and other have not. Raise them by all possible means to the highest position, but we cannot crouch, sneak and skulk about like charity boys before them sacrificing our cultural identity, political integrity and social individuality before any section of the people—mazdoors, kisans, jotedars or zamindars, or even before rulers of the land. Much has been said about the unfortunate communal riots in the country and I would not today take-up the unpleasant past.

[Shri Badrudduja]

Madam, in a democracy the majority must rule. Badrudduja will not aspire for the highest position; it is Shri Chavan, Shrimati Gandhi or Dr. Ram Subhag Singh who will rule. We will only cooperate, as I said, with those members and sections of the majority community who are sympathetic to us and who soothe our troubled hearts in our deep distress.

Madam, I was saying the other day—Mr. Chavan will not take it amiss—as to what has happened to the Mussalmans of India during the last 22 years. They are not found fit for any position today. Out of 7 million gazetted and non-gazetted officers, there is hardly 1 per cent of Mussalmans in the administration. If your administration could not protect the life, liberty, honour and property of the Indian Muslims, who constitute an integral part of the Indian nation, give us power and weapons to defend ourselves. We could defend ourselves before partition. 14 per cent Mussalmans in UP held their own against 86 per cent; 11 per cent in Bihar against 89 per cent even; 7 per cent in Madras against 93 per cent could protect their life and property from the vandalism of miscreants.

Madam, we are not concerned with one Zakir Hussain or Fakhruddin Ali Ahmed. I would say in all earnestness, the highest positions in the land should go to the members of the majority community. We do not claim them. We will be quite satisfied with small mercies.

अतायेतु बल्लकाएतु बख्शीदम

[عطائے تو بلقائے تو بخشیدم]

Your gift, Mr. Chawan, I return to you with all good grace. I only urge upon you to give us representation in the Services, adequate though it may not be when 80 per cent of Hindu youths are knocking about the streets for careers they must be provided; but Mussalmans should also be provided particularly in the police and the executive so that as magistrates and police officers they can give some sort of natural protection to Mussalmans who suffer so much during the riots.

Madam, about language many hon. Members have already discussed; said and I would not stress it further. I would only add that Urdu is the only

language in India which fortunately enshrines the culture and cultural heritage of Islam. Why should not the Government come forward to recognise Urdu as a regional language which has been guaranteed in the Constitution? A section of the people in India may perhaps go against this language; but I do not understand why the Government should, in violation of the spirit and letter of the Constitution, deny regional character to Urdu which has been guaranteed unto it in the Constitution.

Madam, there are so many problems before us—problems, big with the fate of the community and the nation problems of a far-reaching significance, problems which are bound to have repercussions upon the growth and evolution of Indian society. Madam, we look towards a greater India, a happier India, a brighter India in which all of us, Mussalmans, Hindus, Christians, Buddhists, must contribute according to our own lights and convictions.

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) :

सच्चापति महोदया, मुझे पहले भगवान पर विश्वास करने वाला और भगवान पर विश्वास न करने वाले दोनों पक्ष के सदस्य बोले हैं। एक पक्ष ने आर्थिक नीति के बारे में और सामाजिक तथा कानून के बारे में कहा है। मेरे कामरेड दोस्त ने होम मिनिस्टर की आलोचना की है और कुछ आशंकाएं भी जाहिर की हैं। दूसरे मेरे दोस्त ने बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया है और उन्होंने जिन भावनाओं का और जिन भावनाओं के द्वारा अपने विचारों का उल्लेख किया है, उसकी तारीफ भी की जा सकती है। लेकिन एक ऐसा सवाल बे सामने लाए जो कि मुझे अखरता है। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से कई चीजों की मांग की है और उनका गला भर आया था और वे इस तरह से बोल रहे थे कि जिससे सुनने वाला हर व्यक्ति उनसे हमदर्दी करता। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यह हकीकत नहीं है। हम जिस समाज में रह रहे हैं वह जम्हूरी समाज है और इस जम्हूरी समाज में हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई का कोई सत्ता नहीं है। हमारा जो विधान है, उस विधान में हर व्यक्ति को तरक्की करने के, उन्नति करने के रास्ते खुले हुए हैं और अगर

हम विधान के बारे में शंकाएं रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि समाज में कोई कितना भी बड़ा हो और वह कुछ भी विचार रखे, किसी प्रकार से भी रखे, हम उन विचारों का, हम उन भावनाओं का आदर नहीं कर सकते, क्योंकि अपने इस समाज को, हिन्दुस्तान को, इस भारत को, हमें एक बनाना है और इस भारत देश ने, जिसने बड़े कड़वे घूट पिये हैं, 1947 में जो यह बंटो है और पंजाब और बंगाल के लोगों को जिस का पता लगा है, जिनको तजुर्बा है, मैं समझता हूँ कि हमें कोई ऐसी नींव नहीं रखनी चाहिए, जिस नींव के द्वारा हम हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई के बारे में ऐसी बातें कहें। मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि वे विचार जो उन्होंने कहे उनको और मेरे विचारों को अपने सामने रखें और कोई विवाद इस प्रकार से नहीं होना चाहिए।

इस से पहले कि मैं कुछ और बातें कहूँ, मैं वह कहना चाहता हूँ कि मैं ने मेरे दोस्त श्री द्विवेदी ने कल जो भाषण दिया था, उस को पढ़ा था। मैं उन का भाषण कल नहीं सुन सका, लेकिन उन्होंने यह कहा था कि होम मिनिस्ट्री बिल्कुल असफल हो चुकी है और इस कारण हमारे होम मिनिस्टर को त्यागपत्र दे देना चाहिए। वह उन्होंने कहा था। श्री द्विवेदी जी मेरे दोस्त हैं और इस हाउस के सीनियर मेम्बर हैं, एक पार्टी के नेता हैं और मैं उनका आदर करता हूँ पूरी तरह से, लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे कितना बड़ा हो, यदि हकीकत को नजरान्दाज करता है और एक आंख से देखता है तो हमारा फर्क हो जाता है कि हम कहें कि वह दूसरी आंख भी खोले और उस आंख के खोलने के लिए मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य : अगर वह काना हो ?

श्री प्रेम चन्द वर्मा : काना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान है कि वे कान नहीं हैं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि सन् 1947-48 का टाइम जो था, उस वक्त होम मिनिस्टर का जो काम था, वह बड़ा अहम काम था। 1950, 1951 और 1952 में 600 रियास्तों का मसला हमारे सामने था और हमारे होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने उस मसले को बड़ी योग्यता से, बड़ी मजबूती से हल किया। उसके बाद आजादी के दिन आये, जवाहरलाल जी का युग आया और वह इस प्रकार से चलता चला गया कि किसी भी होम मिनिस्ट्री को कोई मुश्किलता सामने नहीं आई। लेकिन 1967 के चुनावों ने एक नई समस्या खड़ी कर दी. . .

श्री प्रकाशचौर शास्त्री (हापुड़) : समाज-ध्यायी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि सदन में किसी सदस्य को इस बात की आज्ञा है कि वह दूसरों को अपने साथ बिठाकर पान वितरण करे ?

समापति महोदय : मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने इस ओर ध्यान आकर्षित किया। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अगर यह हो रहा है तो इसको तुरन्त समाप्त करें और लाबी में जाएं।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मैं कह रहा था कि उस वक्त सरदार पटेल ने वह समस्या हल की और जवाहरलाल के युग में किसी होम मिनिस्ट्री को कोई समस्या नहीं आई। 1967 के चुनाव के बाद विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न दलों की सरकारें बनीं और आपको मालूम होगा कि एक-एक प्रांत में 14-14 पार्टियों की सरकार बनी, भानमती के कुनबे की सरकारें बनीं। उनके पिटारे बनते गये और टूटते गये और इस तरह कई सरकारें बनीं। वह सारी की सारी समस्याएं होम मिनिस्ट्री के सामने थीं। एक ओर तेलंगाना का झगड़ा, दूसरी ओर चंडी-गढ़ का झगड़ा था। इस प्रकार अगर इस बात को कोई आंख बन्द करके देखता है और कहता है कि कोई समस्या का हल नहीं हुआ, तो यह उचित नहीं कहा जा सकता। जिस देश में खून की नदियां बहतीं, लेकिन सारी की सारी समस्याओं को कंट्रोल किया गया। मैं श्री चन्दाण जी

[श्री प्रेमचंद वर्मा]

को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी मिनिस्ट्री ने बड़ा कार्य किया। अगर कोई मੈम्बर इस बात को नहीं मानता और इस प्रकार की बात करता है तो वह हकीकत को नजरअंदाज करता है। मैं तो हकीकत को हकीकत कहा करता हूँ। हकीकत को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। इसलिये मैं श्री चन्हाण साहब को तथा उनके मंत्रालय को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत से काम ऐसे किये हैं जिनसे देश की सुरक्षा हुई थी और सब की सुरक्षा हुई। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी वह ऐसा करते रहेंगे।

अब मैं आता हूँ सबसे पहले डिमांड नं० 45 पर जिसमें पुलिस के बारे में लगभग 70 करोड़ रुपये की डिमांड्स हैं। मैं इस सिलसिले में एक बात कहना चाहूँगा। (घंटी बजती है)... ये मेरे मुझाब हैं, भाषण मैंने नहीं करना है। उस 70 करोड़ रुपये में से मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पुलिस का सिपाही है, उससे लेकर सब-इंस्पेक्टर तक की तनकवाहों की देखभाल की जाए और उनको इतनी तनकवाह दी जाए कि उनका पेट भर सके और उनके बाल-बच्चों का कुछ हो सके। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस को इस ढंग से टेक्निकल और वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए कि वह क्राइम को रोकने के लिए जरूरी कार्यवाही कर सके। उसके पास सब तरह के यंत्र हों ताकि वह मुजरिमों को ठीक ढंग से पकड़ सके और उनको सजा दे सके।

डिमांड नं० 46 पर मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें 7 करोड़ रुपये जनगणना के बारे में हैं जो कि 1971 में होने वाली है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम सवाल पूछते हैं कि कितने बेरोजगार हैं तो उसमें यह भी पता लगाया जाए कि सरकारी नौकरी पर कितने हैं, उसके साथ ही खेतीबाड़ी कितने करते हैं। इसके अलावा मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह कि पीने के पानी जो कुदरत की चीज है, कितने

लोगों को दे रखा है और कितने लोगों को ठीक तरह से नुहैया नहीं है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वह जनगणना के फार्म में भरनी चाहिये। कितने लोगों को बिजली नहीं मिली, यह बात भी उसके साथ होनी चाहिए।

अब मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूँ, वह है मेरे प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में। मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूँ कि उनकी अपील पर और हम सब लोगों की कोशिश पर जो एक लाख कर्मचारी वहां पर नान-गजेटेड हैं उन्होंने अपनी हडताल खत्म कर दी है और एसी हालत पैदा कर दी है कि शान्ति की हालत में उनके साथ बातचीत की जाए। उनकी मांग है कि पंजाब के स्केल्स उनको दिये जाएं। वह कहते हैं कि पंजाब के स्केल से हमें कुछ कम नहीं चाहिए क्योंकि पहले वे पंजाब में थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हाबत नार्मल हो गई है तो पंजाब के स्केल के बारे में उनके साथ बातचीत किस प्रकार से हो, उस पर वह हम-दर्दी से गौर करें। उसके साथ ही विक्टिमाइजेशन के जो वहां केसेज हुए हैं, सस्पेंशन हो गई है, वह सारी बातें वापस ले लेनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उनको कहें कि वह वापस ले लें।

दूसरी बात मैं यह कहूँगा कि बाउंडरी कमीशन...

समापति महोदय : आपका टाइम खत्म हो गया। उनकी पार्टी का टाइम था।

श्री प्रेमचंद वर्मा : चंडीगढ़ के बारे में हमारे साथ बेईसाफी हुई है। हिमाचल प्रदेश को उसका हिस्सा नहीं मिला जब कि बाउंडरी कमीशन की टर्मस आफ रिफरेंस में भी यह था। ऊना तहसील का इलाका हमें मिलना चाहिए था। उसके साथ ही कांगड़ा, नंगल, पठानकोट, मुफेरियां घाट और काल्ला भी हिमाचल प्रदेश को दिया जाए तथा वहां के लोगों की जो मांग है उबका फैसला हो। उन लोगों को बुलाया जाए और पूछा जाए कि वह कहां जाना चाहते

हैं, अगर वह हिमाचल प्रदेश में जाना चाहते हैं तो उनको हिमाचल प्रदेश में भेज दिया जाए। स्टेट के लिए बहुत दिन से हमारे प्रदेश ने मुकम्मिल सिफारिश की है। मैं भी स्टेट के लिए जैसा कि होम मिनिस्टर साहब कहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि 1971-72 का जो बजट आने वाला है उसमें हिमाचल प्रदेश को पूरे स्टेट का दर्जा दे देंगे।

इसके अलावा सेंटर-स्टेट रिलेशंस के बारे में रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एंडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने इस बारे में रिपोर्ट दी हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह इस बारे में बतायें कि जो रिपोर्ट मिली है, उस पर सरकार ने विचार किया है? अगर किया है तो उस बारे में क्या फैसला हुआ? क्या ऐक्शन ले रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चाहे कोई भी प्रदेश सरकार हो, कुछ भी हो, प्रदेश सरकारों को इस प्रकार से कोई काम नहीं करने देना चाहिए जिससे कि सेंट्रल सरकार कमजोर हो और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुछ भी तरीके अपनाए जाएं, कुछ भी सिफारिशें हों, लेकिन सेंटर को कमजोर करने की कोई बात नहीं मानी जानी चाहिए।

मेरा एक सुझाव यह है कि डिफेंस और कम्यूनिकेशन या रेलवेज के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ ही साथ ऐजुकेशन भी सेंटर के पास होनी चाहिए। एक सी ऐजुकेशन सारे प्रदेशों में हो, सारे देश में हो। यह जरूरी है कि हम सर्विसेज को राष्ट्रीय भावना दे सकते हैं, एक सी चीजें हम दे सकते हैं, इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए।

इसके साथ ही मैं एक अर्थ यह करना चाहता हूँ कि आइ० सी० एस० आफिसर और आइ० ए० एस० आफिसरों के जो विशेषाधिकार हैं वह समाप्त होने चाहिए। अब हम राजाओं को खत्म करने लगे हैं, उनके प्रिन्स पर्स खत्म करने लगे हैं तो कोई बजह नहीं है कि हम आइ० सी० एस० आफिसर्स को विशेषाधिकार दें। उसके साथ ही आइ० ए० एस०, आइ० पी० एस०

जितने भी सरकारी आफिसर्स हैं, इनके डाइरेक्ट रेकूटमेंट बन्द होने चाहिए और रेगुलर सर्विसेज में ही ज्यादा हिस्सा दिया जाना चाहिए ताकि वह लोग अच्छी तरह से काम करें।

सभापति महोदय : अब मैं आपको एक मिनट भी नहीं देना चाहती हूँ। आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : तो मैं कहना चाहता हूँ कि आइ० ए० एस० में जो जाते हैं, वह सीधे बी० सी० हो जाते हैं या सुपरिटेण्डेंट आफ पुलिस बन जाते हैं। उनको कोई तजुर्बा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि जो शिक्षा हमें मिलती है, उसके मुताबिक काम हो जाना चाहिए। मैं, जो समय आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य सभापत कर चुके हैं अब वे अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री जे० मुहम्मद इमाम को बुला लिया है।

SHRI J. MOHAMED IMAM: Madam Chairman . . .

श्री प्रेम चन्द वर्मा : सभापति महोदय, मैं मिनिस्टर साहब के सामने देश की भावना रखते हुए कहना चाहता हूँ . . . (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Order please.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh): One request. Kindly complete one round of all the parties before you give time to a second representative of those parties, which have already spoken. Major parties have not spoken yet.

MR. CHAIRMAN: If the hon. Members kindly resume their seats I will be able to explain the position. The position as it stands now is SSP 14; CPI 16; BKD 8; Congress (O) 4; Swatantra 14; Jan Sangh 9 and CPI (M) 16 minutes. I would like to go according to the maximum time at the disposal of the party. I am calling them first. I called Swatantra first. After that I will call the CPI (M). (Interruption).

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : परम्परा अब तक यहाँ की यह रही है जैसा कि गोयल जी ने भी बतलाया कि एक बार सब पार्टियाँ और ग्रुप्स जितने भी हैं एक, एक व्यक्ति उन का बोल जाता है, एक राऊंड जब पूरा हो जाता है तो जो शेष समय रहता है उस में फिर बाद में उन के वक्ताओं को बुलाया जाता है ।

SHRI RANDHIR SINGH: One this side and one that side.

MR. CHAIRMAN: I was taking the time of the parties rather than the first or second round. It is up to the parties . . .

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peer-made) : The usual practice is that major parties are all finished first.

MR. CHAIRMAN: All right. Already one Member has spoken from the Swatantra party. All right. I will give chance to the party which has not had a chance.

SHRI J. MOHAMED IMAM : I am already on my legs. You called my name.

MR. CHAIRMAN: I request you again. We shall follow the healthy conventions of the House. Your name will be taken up a little later. In respect of all those parties which have had one chance, I will call them later. I will call upon the CPI (M) which has 16 minutes at its disposal first. We shall follow the convention.

SHRI J. MOHAMED IMAM : You called my name, and I said 'Madam Chairman'. Now, strictly speaking, I was in possession of the floor. This is not the first time; yesterday also you called the Member of the Congress Opposition and he spoke and you called me. Now I am in possession of the House and if you ask me to sit down, I will have to protest against it.

MR. CHAIRMAN: I quite realise your point. I am telling you that you will be given a chance. There are certain parties who have not had a chance. I request you to give up the floor to them. You will get your chance in a few minutes. I hope you will kindly

agree to that. I call upon the hon. Member from CPI (M) to speak.

SHRI P. GOPALAN (Tellicherry) : Madam, Chairman, I cannot proceed with my speech without having a look at the way this Ministry has been conducting itself by practising its favourite pastime of toppling operations. After 1967 elections, two non-Congress Progressive Governments emerged on the political scene of our country and these two governments were a direct challenge to the ruling party as well as the ruling government here. Since then this Ministry and our Home Minister, Shri Chavan sitting on the top of this Ministry are not happy at all. They toppled the two non-Congress Governments twice in Bengal and once in Kerala. We know that the head of the State Governor is appointed by the Union President. These governors are used as a convenient political tools. The Central Government and the Home Ministry used them to further their own political ends. The principles they have adopted in Kerala could not be adopted in West Bengal. In West Bengal, after the resignation of the Chief Minister, Shri Ajoy Kumar Mukherjee, the largest single party which was our Party must have been invited by the Governor to form the Government. But then the West Bengal Governor was given specific instructions by the Home Ministry not to invite Shri Jyoti Basu to form the Government. Shri Jyoti Basu was even prepared to prove his majority in the Assembly within two days of the forming of the Government. But then the Governor turned down this suggestion. He was not given that opportunity to form the government. But what they have done in Kerala is just contrary to what they have done in Bengal. After Shri Namboodripad resigned, Shri Achutha Menon was brought from Delhi to Kerala and he was asked to form the Ministry. On what basis was he asked to form the Ministry we do not know even now. The Chief Minister designate, Shri Achutha Menon categorically declared that he would not rule the State even for a single day with the support of the Congress Party. This was a firm declaration made by him, may be to hoodwink the people. Everybody knew Shri Achutha Menon had no majority among the MLA's without Congress support.

SHRI J. M. BISWAS (Bankura) : That has been proved in the Assembly.

SHRI P. GOPALAN: Our party had a strength of 50 in the Kerala Assembly. The strength of S.S.P. members is 6. Both these parties declared that they were not supporting Shri Achutha Menon's Government; and one Member belonging to the K.T.P. and another as the K. S. P. along with two or three other independent members very clearly declared that they would not support Achutha Menon's Government. Thus the minority government was allowed to be formed in Kerala. He was given three long months to manipulate and prove his majority in the Assembly with Congress support. And even for convening the Assembly we had the Sacrifice of many lives. We conducted a bitter struggle and it was only after that that the Chief Minister was prepared to convene the Assembly and even now he is calling himself as a great democrat. This is double dealing. The Central Government have adopted different methods, one in Kerala and another in West Bengal. While in West Bengal Shri Jyoti Basu was prepared to prove his majority in the Assembly within two days he was not allowed to form the Ministry, in Kerala when Shri Achutha Menon was not even prepared to prove his majority in three months, he was allowed to form a minority government. And what was the expectation of Shri Achutha Menon? He said that half a dozen Communist Marxist members would defect to his side, that all the 6 members of the SSP would support him, even after the SSP leaders had firmly declared that they would not support him. It was on the basis of this anticipated election and support that Achutha Menon was invited. The reason for this is very clear. In Kerala they could have a sycophant's government through Shri Achutha Menon while in West Bengal they could not have a sycophant's government through Shri Jyoti Basu. So in Kerala they allowed it.

Here many members talk loudly about democracy. All this is mere hog-s talk. They have no faith in and respect for democracy. This has been proved by the Home Minister's actions through the Governors in respective States. In identical circumstances, contradictory standards are adopted.

Here there are certain champions of democracy. We are dubbed wreckers of Constitution. Of course, our party is for a thorough change in the present

Constitution. But every party is now championing the cause of democracy while actions prove otherwise. We know who has set a magnificent example for the democratic system in our country. When Shri E. M. S. Namboodiripad found he had no majority in Kerala Assembly within an hour he tendered his resignation and stepped down. But what have we seen in Haryana? When the so-called champions of democracy lost majority in the Assembly, they got the Assembly prorogued and thereby saved democracy! This is the wonderful spectacle we see at present. What happened in Jammu and Kashmir? When the champions of democracy lost the support of majority members, Shri Sadiq got the Assembly prorogued. This is how democracy was saved in these two States, by ruling Congress.

Some other members from the Opposition also shout so much about the sanctity of the Constitution and parliamentary institutions. But we have seen what happened in Gujarat. When they were about to face a snap vote against them, they immediately adjourned the Assembly. The same thing was done in Orissa where the Swatantra Party is in power. There also, when the big Champions found that they will have to face an adverse vote, they immediately adjourned the House. This is what we see.

SHRI PILOO MODY: A slight correction—it did not happen in Orissa.

SHRI P. GOPALAN: A much more strange thing happened in Kerala. The Assembly was adjourned. When was it? When the Central Committee of one of the constituent parties supporting the Government, took a decision, to quit the Government. (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN: Kindly address the Chair. No disturbance please.

SHRI YOGENDRA SHARMA: Twice they have been defeated in the Assembly. How many times more they want to be defeated? (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not get yourself involved in controversies.

SHRI P. GOPALAN : They were asked to withdraw from the Government, because the other constituent parties also were asked to withdraw from the Government (*Interruption*)—the right Communist party, the Congress party—(*Interruption*).

SHRI VASUDEVAN NAIR : It is a lie. They have not withdrawn their support. (*Interruption*)

SHRI P. GOPALAN : That is their decision. Without allowing the Assembly to have a thorough discussion on the budget, the Assembly was adjourned by the Chief Minister. This is a wonderful thing we have seen. All these people are the champions of democracy. Shri E. M. S. Namboodiripad, when he lost the majority in the Assembly, within an hour, tendered his resignation. (*Interruption*)

SHRI VASUDEVAN NAIR : He was thrown out. They had to go out. What else could he do? (*Interruption*)

SHRI P. GOPALAN : Sir, I want five minutes; my time is taken away by such interruptions.

SHRI VASUDEVAN NAIR : What is there to boast about it? When one loses the majority, one has to resign. (*Interruption*).

SHRI P. GOPALAN : Sir, this nonsense should be stopped.

SHRI RANDHIR SINGH : Sir, this should be expunged.

MR. CHAIRMAN : I want the hon. Member to address the Chair. He should not get himself involved with the hon. Members there, and that will keep away the controversy. Please continue, if you want to continue.

SHRI P. GOPALAN : Madam, there has been so much loud talk about Marxist violence. So many instances have been quoted here. Sometime back, an hon. lady Member of this House painted a harrowing tale saying that truck-loads of sarees were carried from Rabindra Sarovar Stadium in Calcutta. I do not know what happened to those truck loads of Sarees after the impartial enquiry. After that, I do not know where this truck-loads of sarees has disappeared!

Then came the story that 14 bodies were recently exhumed from a grave. But here is a report published in *Patriot* of March 26th. The Inspector-General of Police, Shri S. M. Ghosh, according to this report, has said that two skeletons of bodies have been dug out, which appeared to have been buried long ago. It was reported in a section of the press that 16 bodies have been recovered. This is the type of propaganda which is being let loose by certain interested parties and the press which is always against the Communist Party (Marxist).

Madam, what is the basic reason for this vilification against our party? You know the basic reason is that our party has strengthened its position in West Bengal. Here, I may just read a few sentences from an article published in the *Indian Express* of the 12th March, 1970, by its Delhi Editor, Mr. Nandan Kagal. He says in this article:

"Mr. Jyoti Basu's party has not only a wide base in West Bengal both in the cities and in the rural areas; what is even more significant in the context of the long-rope theory, the CPM's popular base has become considerably wider and stronger since the second United Front Government was formed a year ago."

He goes on to say:

"The CPM has improved its position considerably amongst all organised section in the cities, despite the counter-efforts of other members of the United Front, particularly the CPI."

This is the basic reason why our party is sought to be isolated and our party people are vilified.

16 hrs.

The same author says:

"In the rural areas also, the CPM today is much stronger than it was when the second United Front was formed after the mid-term poll in February last year. Indeed there is some reason to believe that the CPM now has firmer control over the countryside than the Congress Party ever had in the past."

This is the conclusion of the *Indian Express*, which is not favourable to us,

which has written this article. He goes on to say:

"The only thing that Mr. Mukherji's fast did was to expose the Chief Minister and his Bangla Congress to public ridicule."

Lastly he says:

"President's Rule would no doubt have to be followed in due course by a fresh election in West Bengal. It is just possible that in such a poll the CPM might emerge with an absolute majority even if the other parties combine against it."

This is the basic reason why the other parties are trying to vilify our party and isolate us, talk about law and order, exhuming 14 dead bodies from the grave, etc. At this rate they can exhume any number of bodies in Calcutta and say that they are the bones of persons killed by the Marxist workers.

Lastly, I would say something about the Shiv Sena atrocities in Bombay. The other day when I spoke about it, Mr. Shukla intervened and said that whatever the Member has said was most irresponsible and unfounded but here is a speech made by a Member of the ruling Congress, Mr. S. B. Sawant, in the Maharashtra assembly. He says :

"If the Government failed to put down the menace of the fascist Shiv Sena the organisation might become a Frankenstein."

He goes on to say:

"A Government which cannot fight such tendencies has no right to remain in power."

And lastly he says:

"The Shiv Sena had grown largely because of the acts of omission and commission of the State Government."

He himself has admitted it and he has also said that some top leaders of the administration are having close links with the Shiv Sena. I do not know whether the Home Minister also is having some link with the Shiv Sena. Therefore, I conclude by saying that the Home Ministry has all along been specialising in toppling operations, and therefore I oppose these Grants.

श्री नागेश्वर/ द्विबेही (मछली शहर) :
मैं गृह मंत्रालय की जो बजट मांगें हैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

इस में सन्देश नहीं है कि आज देश में असा-
जिक तत्व अपना सिर उठा रहे हैं । उन्होंने
साम्प्रदायिकता की भावना भड़काई है और
क्षेत्रीय और भाषाई प्रश्नों को ले कर एक चिन्त-
नीय स्थिति पैदा कर दी है । यह सन्तोष की बात
है कि पिछला वर्ष भाषाई विवाद के बिना शान्ति-
पूर्वक बीता है और उस वर्ष में भाषाई झगड़े
नहीं हुए हैं । लेकिन उसी वर्ष में जब हम
गांधी शताब्दी मना रहे थे साम्प्रदायिक झगड़ा
हुआ और प्रान्तीय झगड़े भी उमड़ कर सामने
आए और उस कारण से हमारे देश की काफी
बदनामी हुई । इतना ही नहीं हम ने देखा कि
उत्तर प्रदेश चोरियों, डकैतियों, तथा कत्ल
की घटनाओं से काफी आतंकित भी रहा ।
इन चीजों की तरफ सरकार का ध्यान विशेष
रूप से जाना चाहिये । अगर ऐसा नहीं हुआ
तो भविष्य में निराशा ही हाथ लगेगी और
यह समस्या सरकार के लिए बड़ी ही चिन्तनीय
बन जाएगी ।

जहां तक क्षेत्रीय झगड़ों का सम्बन्ध है, दो
प्रान्तों की सीमायें इधर उधर बदलने का सम्बन्ध
है, जैसे चंडीगढ़ का सवाल है या बैलगाम का
सवाल है, उनको छोड़ भी दिया जाए तो भी
बम्बई जैसे शहर में शिव सेना का जो संगठन
रहा है, उसके द्वारा उपद्रव भड़काये गये हैं
और दूसरे प्रान्त वालों के साथ बड़ा ही दुर्व्यव-
हार किया गया है । आज ही वहां इस तरह
की घटनायें हो रही हैं जिन के कारण दूसरे
प्रान्त वाले चिन्तित हैं । मैं चाहता हूँ कि
गृह मंत्री जी प्रान्तीय सरकार का ध्यान उस
और आकर्षित करें और उसको कहें कि इस
तरह की होने वाली दुर्घटनाओं को वह रोके ।

आजादी के पहले हमारे देश में साम्प्रदायिक
दंगे बहुत हुआ करते थे । आजादी के बाद,
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बनने के बाद यह
चीज काफी उग्र रूप में सामने आई । बाद

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

में उस में बड़ी कमी आई। लेकिन पिछले वर्ष जिस को हम गांधी शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे थे, अहमदाबाद की घटनाओं को लेकर सारे देश में और दुनिया में हमारी बदनामी हुई और चिन्तनीय स्थिति पैदा हुई। लेकिन एक बात की तरफ मंत्री महोदय ध्यान दें। वे जो झगड़े होते हैं वे शहरों में ही होते हैं जहां पढ़ लिखे लोग ज्यादा होते हैं, जहां बात और सम्प्रदाय की बात नहीं होती है, वहीं पर ये झगड़े होते हैं। लेकिन गांवों में जहां साम्प्रदायिक कट्टरता भी होती है, जहां विभिन्न जातियों के लोग भी बसे होते हैं, ये झगड़े नहीं उभड़ते। शहरों में ही जहां पढ़े लिखे, सुशिक्षित, सभ्य कहे जाने वाले लोग होते हैं और जो अपने को आगे बढ़ा हुआ समझते हैं, अपने को सक्रिय नागरिक कहते हैं, वहां पर ये झगड़े यदा कदा होते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? कारण को ढूँढ कर उसका पता लगा कर उसको दूर करने का उपाय किया जाना चाहिए।

राष्ट्रभाषा का प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले साल भाषा को ले कर काफी काम हुआ है, इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। लेकिन एक बात देखने में आती है। सन् 1965 से हिंदी राष्ट्र भाषा हो गई है और अंग्रेजी सहभाषा के रूप में चल रही है। लेकिन व्यवहार में देखने में यह आया है कि जैसे राष्ट्रभाषा के पद पर अंग्रेजी हो और हिंदी सहभाषा के रूप में चल रही हो। जिन चीजों का प्रकाशन सरकारी तौर पर होता है उनको पहले अंग्रेजी में दिया जाता है और बाद में उनका अनुवाद हिंदी में किया जाता है। होना यह चाहिये कि जिन को हम आसानी से हिंदी में दे सकते हैं, उनको पहले हिंदी में दें और बाद में अंग्रेजी में दें अन्यथा दोनों को साथ साथ दिया जाए।

जहां तक दक्षिण वालों का प्रश्न है, तमिलनाडु के लोगों या डी० एम० के० वालों का सम्बन्ध है, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि पिछले साल उन्होंने भाषा को ले कर कोई आन्दोलन

नहीं छोड़ा है और न ही कोई झगड़ा खड़ा किया है और न ही कोई उत्तेजना झर झर पदा की है। लेकिन कांग्रेस के नेता श्री कामराज के मद्रास के कुछ भाषणों से कुछ बुरा अंतर पड़ा है और अगर उन्होंने ये वक्तव्य न दिख होते तो यह झगड़ा खड़ा न होता। हम लोग जानते हैं कि जब मद्रास के मुख्य मंत्री श्री राजा-गोपालाचारी थे तब उन्होंने हिन्दी को बढ़ावा देने का प्रयास शुरू किया था। उन्हीं के नेतृत्व में स्टेशनों पर हिन्दी में लिखे गए साइन बोर्ड को तारकोल से पोता गया था। कांग्रेस के नेता पद पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने उस मनोवृत्ति को नहीं रोका। 1967 के चुनाव से पहले भी उन्होंने इस तरह की बातें कीं और आज भी डी० एम० के० वालों ने जो इस बारे में फिर से बोलना शुरू किया है, उस का भी कारण उन का मद्रास का भाषण है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के लोगों को सारे देश को ध्यान में रख कर बात करनी चाहिए।

तामिल भाषा पुरानी है, उस का साहित्य पुराना है। उस में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। लेकिन अपनी जटिलता के कारण कहिये, या कठिनाई के कारण कहिये, वह तामिलनाडु के अगल-बगल में भी नहीं बढ़ सकी है। तामिलनाडु के पड़ोस में ही तेलुगु, कन्नड़, और मलयालम बोलने वाले लोग हैं। लेकिन तामिल भाषा उन लोगों पर भी अपनी छाप नहीं छोड़ सकी है। प्राचीन काल से लेकर अब तक उस का दायरा बहुत सीमित रहा है।

इस की तुलना में हिन्दी काफ़ी व्यापक क्षेत्र में प्रचलित है। जिस भाषा को लोग आसानी से समझ सकें, उसी भाषा का विस्तार होगा। भाषा की समस्या का समाधान एक राष्ट्रीय स्तर पर ढूंढा गया था, इस लिए अब उसके विरोध का कोई औचित्य नहीं है। जिस भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में गांधीजी ने समर्थन किया था, उस के विरोध का कोई कारण नहीं हो सकता है। जब श्री कामराज जैसे नेता इस तरह की बातें करते हैं, तो स्वभावतः कुछ उत्तेजना पैदा होती है। यह मालूम होता

है कि वे क्षेत्रीय दृष्टि से नहीं, बल्कि राजनैतिक दृष्टिकोण से ऐसा करते हैं। दूसरी पार्टियाँ भी उस का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं।

चूँकि समय नहीं है, इस लिए मैं संक्षेप में अपने क्षेत्र की तरफ माननीय गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं ने इस विषय में बहुत से पत्र भी लिखे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित मछलीशहर की मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में डकैतियाँ और कत्ल बहुत बढ़ गये हैं। ऐसी हालत हो गई है कि एक एक घाने में कई कई कत्ल हुए हैं, लेकिन कातिलों का पता नहीं चला है। इस कारण उस क्षेत्र के लोग बहुत आतंकित हो गये हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकारें बदलती रहती हैं। वहाँ पर 1967 में एक सरकार बनी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही एक दूसरी सरकार बन गई और फिर राष्ट्रपति-शासन आ गया। मालूम होता है कि इस तरह से सरकारों के बार-बार बदलने का बाम लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है और खास तौर से डकैतों और अन्य असामाजिक तत्वों को बढ़ा बढ़ावा मिल गया है, उन में निर्भयता सी आ गई है। अगर इस तरह की घटनाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जायेगा, तो यह समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है।

इसलिए मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदय इस स्थिति की तरफ प्रदेश सरकार का ध्यान दिलायें और वह जिन कत्लों और अपराधों का पता लगाने में असमर्थ रही है, गुप्तचर विभाग के द्वारा उन का पता लगाने की कोशिश करें।

1967 के चुनाव के बाद राजनैतिक क्षेत्र में दल-बदल की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। पहले लोग जिस पार्टी से चुने जाते थे, उन की निगाह में उस का एक विशेष महत्व होता था। कोई सैद्धान्तिक मतभेद होने के कारण किसी पार्टी को छोड़ना तो आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन आज यह हालत हो गई है कि शाम को लोग एक सिद्धांत और विचार के समर्थक बनते हैं और सुबह उस का परित्याग कर के

दूसरी तरफ चले जाते हैं। हम जात-पात ताड़ने और साम्प्रदायिकता से ऊपर उठने की बात करते हैं, लेकिन कुछ राजनैतिक दल और ग्रुप भी इसी आधार पर बनाए जाते हैं। दल-बदल की यह स्थिति शासन चलाने के लिए बड़ी खतरनाक है। इस सम्बन्ध में कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। यदि एक व्यक्ति किसी पार्टी से चुना जाये और उस के बाद उसको छोड़ दे, तो उस का स्थान रिक्त समझा जाना चाहिए और वहाँ फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि जिस जनता के समर्थन से वह चुना गया था, दल-बदल कर के उस ने उस जनता की भावनाओं और इच्छाओं के विपरीत काम किया है।

श्री श्यूर अली खाँ (कैराना) : मोहतरिमा चेररमैन, हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क है और एक बहुत बड़ी जम्हूरियत है। इस मुल्क में होम मिनिस्ट्री सब से अहम मिनिस्ट्री है, क्योंकि जितने भी अन्दरूनी इन्तजामात हैं, उनमें ज्यादातर होम मिनिस्ट्री का दखल है। जिस मुल्क के अन्दरूनी इन्तजामात सही हैं, वही मुल्क मजबूत और ताकतवर हो सकता है। जिस मुल्क के अन्दरूनी इन्तजामात सही नहीं हैं, जिस मुल्क में झगड़े-फ़साद होते हैं, वह कभी ताकतवर नहीं हो सकता है, न वह अपना डिफेंस कर सकता है, न अपने मुल्क की तिजारत और सनअतों-हिरफ़त को तरक्की दे सकता है, न तालीम के मैदान में तरक्की कर सकता है और न ही अपनी हिफ़ाजत और तरक्की के लिए कुछ सोच-विचार कर सकता है। वह अमन-शान्ति और ला एंड आर्डर को भी कायम नहीं रख सकता है।

बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत से झगड़े हैं, जिन पर तबज्जुह देना निहायत जरूरी है। अगर ऐसा न किया गया, तो मुल्क और डेमो-क्रेसी को नुक्सान पहुंचने का अन्देशा है। हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं, जिन को हमें हल करना है। हमारे यहां ला एंड आर्डर में कोताही है, अमन-शान्ति में कमी है, इलाकाई और लस्सामी झगड़े हैं, सरकारी मुलाजिमों में अशान्ति है

[श्री गयूर अली खां]

और हमारे स्टुडेंट्स में इनडिसिप्लिन है। अगर हम इन सब मसलों की तरफ ध्यान नहीं देंगे और उन की तरफ से अपनी आंखे बन्द कर लेंगे, तो नतीजा यह होगा कि हमारे मुल्क को सख्त नुकसान होगा।

यह एक नाकार्बले-इन्कार हकीकत है कि मुल्क के अन्दरूनी इन्तजामात करने के लिये पुलिस की जरूरत है, लेकिन हमारी पुलिस जनता की हिफाजत करने और अमनो-अमान कायम रखने में बिल्कुल असमर्थ रही है। मुल्क में आये-दिन फ़िरकावाराना फ़सादात होते हैं, नड़ाई-दंगे होते हैं, लोग लूटे जाते हैं, कत्ल किये जाते हैं, मकानात को आग लगा दी जाती है और लोगों की प्रायर्टी बर्बाद की जाती है। लेकिन हमारी सरकार इस तरफ़ कोई तबज्जुह नहीं दे रही है। यह बात बड़ी गलत है। इस से मुल्क और डेमोक्रेसी को नुकसान होगा।

पिछले साल काश्मीर में नैशनल इनटेग्रेशन कौंसिल का इजलास हुआ था। सैटर में भी पार्टी लीडरस् की एक कांफ़रेंस बुलाई गई थी, जिस में यह तय हुआ था कि जहां भी दंगे-फ़सादात होंगे, जहां भी कोई डिसटॉर्बेंस होगी, इस कौंसिल के मेम्बर हर ऐसी जगह में भेजे जायेंगे। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि जहां भी कहीं शगड़े-फ़सादात हुए हैं, या तकरार हुई है, या ऐसी समस्यायें पैदा हुई हैं, आज तक ऐसी किसी जगह भी इस कौंसिल का कोई दौरा नहीं हुआ है और न ही उन लोगों ने वहां जा कर यह मालूम किया कि किस की ज्यादाती है और किस पर ज्यादाती की गई है।

उस पर तमाशा यह है कि अगर कोई शख्स अख़बुद वहां जाने की कोशिश करता है, और जाता है, वहां के हालात मालूम करने के लिये, जो लोग सताये गये हैं, जिन के साथ ज्यादाती की गई है, जो मजलूम हैं, उन की मदद करने के लिए, तो उस पर एतराज किया जाता है, उस को फ़िरकापरस्त, कम्यूनल, बताया जाता है, उस के मुताल्लिक कहा जाता है कि वह लोगों को उभाड़ने और उकसाने के लिए गया है।

जब इलाहाबाद में फ़साद हुआ, तो राज्य सभा के मेम्बर, मौलाना असद मदनी, और यू० पी० कौंसिल के मेम्बर, मौलाना अब्दुल रऊफ़, उस फ़साद की खबर सुन कर लोगों को समझाने के लिए, उन की मदद करने के लिए, उन को तसल्ली और दिलासा देने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन वहां की अथारिटीज ने, उन को पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया। अगर वे सरकारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी उन के साथ ऐसा बर्ताव किया गया।

अहमदाबाद में फ़सादात हुए। जब हमारे डिपुटी मिनिस्टर, श्री यूनस सलीम, मौलाना असद मदनी और दूसरे साहब वहां गये, तो गुजरात गवर्नमेंट ने उन पर इल्जाम लगाया कि ये लोग मुसलमानों को बहका रहे हैं, गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। अखबारों और मजामीनों में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से शिकायत की कि ये लोग यहां के लोगों को बहकाने आये हैं, न कि अमन कायम करने के लिये। हकीकत यह नहीं थी, वे लोग देखने गये थे कि उन के हालात क्या हैं, उन को तसल्ली देने गये थे, उन के आंसू पूछने गये थे। मोहतरिमा, अगर यही हालत रही तो मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी को खतरा है, इस मुल्क को भी खतरा है। हमें भाइयों की तरह से मिलजुल कर रहना चाहिये, एक दूसरे के जज्बात का अहतराम करना चाहिये, एक दूसरे की मदद करनी चाहिये, मजलूमों की फरियाद सुननी चाहिये और उन की मदद करनी चाहिये। मेरी राय में अगर ऐसा कर दिया जाय कि जिन लोगों के साथ ज्यादाती हो, जिन पर जुल्म हो, जिनकी जायदादों को जलाया जाय, तबाह-ब-बरबाद किया जाय, उन की फरियाद सुनी जाय, उस के उपर एक्शन लिया जाय और यह भी किया जाय कि जो लोग उस के लिये मुलाजिम और मुजरिम साबित हों, उन पर सख्त तावानी-जुमाने किये जाय। जो अफसर इन मामलों में कोताही करते हुए साबित हों, उन पर सख्त कार्यवाही की जाय, सख्त सजा दी जाय, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से इस चीज को रोकने में, फिरकैवाराना

फिसादों और रोज रोज के दंगों को रोकने में मदद मिलेगी।

मोहतरिमा, तशदुद की फिजा इस देश में बढ़ रही है और उस को बढ़ावा देने में हमारा सियासी निजाम बिलकुल खोखला हो गया है। ऐसे मौके पर अगर हम लोग जम्हूरियत और अदमेतशदुद के जरिये से देश में बुनियादी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आज ऐसा वक्त आ गया है कि जब सब लोगों को इकट्ठा हो कर यह तय करना होगा कि हम सब लोग मिल कर इस के लिये कोई तजवीज सोचें, कोई हल तलाश करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस का नतीजा यह होगा कि देश को नुकसान पहुंचेगा।

अभी परसों की बात है—पटना स्टेशन पर श्री ज्योति बसु पर, जो बंगाल के डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर थे, गोली चली। इस से साफ़ जाहिर है कि तशदुद उभर रहा है और उसको तकवियत पहुंच रही है। यहां हम सब को मिल कर इस को रोकने की कोशिश करनी है। मुझे उम्मीद है हमारे चव्हाण साहब इस तरफ़ तबज्जह देंगे और इस का इन्तजाम करेंगे ताकि तशदुद न उभरने पाये और मुल्क को नुकसान न पहुंचे।

हमारे सामने दूसरी समस्या यह है कि हमारे सूबों की सरहदों पर झगड़े हो रहे हैं। एक सूबा कहता है यह ज़मीन मेरी है और दूसरा कहता है कि यह इलाका मेरा है। इस पर अक्सर झगड़े होते हैं। मैसूर-महाराष्ट्र का झगड़ा, बिहार और यू० पी० का झगड़ा, पंजाब और हरियाणा का झगड़ा इसकी मिसालें हैं। ऐसे झगड़ों को तय करने के लिए हमारी सरकार फौरन कोई कार्यवाही नहीं करती। अभी परसों यहां पर एक सवाल था, जिसका जवाब देते हुए मिनिस्टर साहब ने बतलाया था कि वह मामला हाई-कोर्ट पटना के अधीन है—मैं बिहार और उत्तर प्रदेश के सिलसिले में अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन बाद में मालूम यह हुआ कि बिहार की आर्म्ड-पुलिस ने आकर यू० पी० के काश्तकारों की पूरी फसल कटवा दी और वे देखते

रह गये। यह भी मालूम हुआ कि 7 आदमी इस के अन्दर कत्ल हुए—यह बड़े दुख की बात है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भी पिछली दफ़ा आपने देखा कि क्या हालात हुए।

मैं आपके जरिये जनाब चव्हाण साहब से अर्ज करूंगा कि वह इन मामलातों में जल्द से जल्द तबज्जह दें और अगर कहीं ऐसा किस्सा खड़ा हो तो उस को कमीशन के जरिये फौरन तय करने की कोशिश करें, ताकि सूबों के ताल्लुकात खराब न हों, सूबों में रहनेवाले वाशिनदों के ताल्लुकात खराब न हों।

हमारे यहां एक बात यह भी बहुत उड़ रही है कि यहां तीन सूबे ऐसे हैं यानी हिन्दुस्तान के तीन हिस्से ऐसे हैं जिन को आज तक स्टेटहुड नहीं दी गई है। अभी कल ही एक साहब मेरे पास आये और मुझ से कहा कि उन के कागज़ पर दस्ताखत कर दू। मैंने कहा—क्या चीज है। उन के कागज़ को पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि वह मणिपुर के लिये स्टेटहुड चाहते हैं। हिमाचल प्रदेशवालों का भी यही मुतालबा है, त्रिपुरावालों का भी यही मुतालबा है कि उन को स्टेटहुड दी जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को इस में क्या हिच है, क्या रकावट है। वह इन हिस्सों को भी स्टेटहुड दे, ताकि उन को भी अपने अन्दरूनी मसायल को अपने ज़रायों से हल करने का मौका मिले, अपने इलाकों में वे आजाद हों और तरक्की कर सकें। हमारे सामने ऐसे बहुत से मसायल हैं जिन पर हम को तबज्जह देनी है और उन के कोई न कोई हल तलाश करने हैं।

अब मैं चव्हाण साहब की तबज्जह अकलियतों की तरफ़ दिलाना चाहता हूँ। करीब करीब तमाम अकलियतों के साथ नारवा बर्ताव किया जाता है, इन में हरिजन भी शामिल हैं। अभी पिछली दफ़ा मैंने अखबार में देखा था कि बतन की चोरी पर एक हरिजन को जिन्दा जला दिया गया, कई जगह हरिजनों को मार दिया गया। मेरे अपने जिले में पांच हरिजन मारे गये। मैं चाहूंगा कि अकलियतों का तहफुज हो, उन के साथ हमदर्दी का सलूक किया जाय

[श्री गयूर अली खां]

हमारे मुल्क में जुबानों के मुताल्लिक भी झगड़े चल रहे हैं। हमारे मुल्क में आईन के मुताबिक 15 जुबाने ऐसी हैं जिन को रीजनल लैंग्वेज करार दिया गया है। उन में से एक जुबान उर्दू भी है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उर्दू दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में पली, दिल्ली में परवरिश पाई, यहां से चली और सारे हिन्दुस्तान में फैली। फिर भी बाज लोग गलतफहमी में उस को दूसरी जगह की जुबान बतलाते हैं, उस को मुसलमानों की जुबान बतलाते हैं, पाकिस्तान की जुबान कहते हैं—यह गलत चीज है। अगर हमारी कोई अच्छी चीज पाकिस्तान अपना ले, तो इस का मतलब यह नहीं है कि हम उस को छोड़ दें। उर्दू हमारी जुबान है, जो हिन्दुस्तान में पली, परवरिश पाई, तो हमें उस जुबान को उस का जायज हक देना चाहिये। कई साल हुए—जब हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी थे, उस वक्त 20 लाख आदमियों ने, जिनमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी शामिल थे, दस्तखत कर के एक मेमोरेण्डम उन की खिदमत में पेश किया था जिसमें हम ने दर-ख्वास्त की थी कि उर्दू को चार सूबों में—दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में—दूसरी सरकारी जुबान तसलीम किया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश कर्लंगा कि वह उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान तसलीम कराने की कलीक गवारा फरमायें।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एम्पलाइज के मुताल्लिक भी मुझे कुछ कहना है। अगरचे हमारे मुअज्जिज वजीर श्री शुक्ला साहब ने उन के मुताल्लिक बहुत कुछ कह दिया है और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने यह भी कहा कि वे उन 1500 दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के मामले में भी बहुत अच्छी तरह गौर करेंगे और उन के साथ हमदर्दी की निगाह से देखेंगे। मैं खुश हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा। मुझे उम्मीद है चव्हाण साहब उन सब को बहाल करने की तकलीक गवारा फरमायेंगे और उन को खुश करने की कोशिश करेंगे।

मोहतरिमा, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा जो टाइम बचा है, वह मेरे साथी निहाल सिंह जी इस्तेमाल करेंगे।

श्री कुशाक बाकुला (लद्दाख) : सभापति जी, गृह मंत्री महोदय ने जो मांगें पेश की हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सन 1967 के बाद इस देश के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें बनी और समाप्त हुई, उनके बीच में काफी झगड़े हुए। इसके अलावा हमारा देश इस समय काफी कठिनाइयों से गुजर रहा है लेकिन हमारे गृह मंत्री ने दूरदर्शिता से काम लेकर लोकतंत्र को सुरक्षित रखा, और इस देश में शान्ति बनाये रखी, इसके लिए मैं उनको मुबारिकबाद देता हूँ।

अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान लद्दाख की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। एक साल पहले हमारे लद्दाख में जो हालत थी वह सूरत अब इस समय नहीं है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर, श्री सादिक साहब ने लद्दाख के संबंध में काफी दिलचस्पी इस बीच में ली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पूरे तौर पर उसका समर्थन करता हूँ। वहां पर जो गजेन्द्रगडकर आयोग नियुक्त हुआ था उसने अपनी कुछ सिफारिशें दी थीं। उनकी मूल सिफारिशें 11 थीं-जिनमें से केवल 6 सिफारिशों को ही अभी तक लागू किया गया है और उनपर भी पूरी तरह से अमल नहीं किया गया है। उन्होंने सबसे आवश्यक सिफारिश यह की थी कि लद्दाख का एक कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए जो कि लद्दाख का मेम्बर हो तथा लद्दाख सम्बन्धी सभी शक्तियां उसी के सुपुर्द होनी चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी तक उस सिफारिश को अमल में नहीं लाया गया है। अभी तक केवल एक स्टेट मिनिस्टर लद्दाख का बनाया गया है और उसको भी लद्दाख अफेयर्स नहीं दिये गये हैं। पहले 14-15 साल तक वहां का डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर रहा है फिर अब क्यों नहीं दे रहे हैं? आज कल

लद्दाख एफयर्स एक ऐसे आदमी के पास है जो लद्दाख का रहने वाला नहीं है। लद्दाख अफेयर्स को कोई भी मिनिस्टर, जोकि लद्दाख का न हो, डील करें, इसपर हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वे रेल, मोटर और हवाई जहाज से चलना पसन्द करते हैं, लेकिन लद्दाख जाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है और घोड़ों की सवारी करनी पड़ती है और वहां पर खाने-पीने की सुविधा भी नहीं रहती है। इसके अलावा वे लद्दाख की जवान भी नहीं समझ सकते हैं। लद्दाख कितना बैकवर्ड है, कई सदस्य वहां पर गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने देखा है कि उन लोगों के रहन सहन, खाने पीने और पहनने की क्या हालत है। इसलिए उसको यहां पर बयान करने की जरूरत नहीं है। जम्मूकश्मीर के मुख्य मंत्री यहां पर आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे होम मिनिस्टर साहब उनसे कहेंगे कि लद्दाख को एक कैबिनेट मिनिस्टर दिया जाये। लद्दाख आज शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सभी दृष्टियों से पिछड़ा हुआ है। लद्दाख में पहले पहल स्वर्गीय पं० नेहरू जी की कृपा से तथा सेन्ट्रल यवर्नमेंट की दिलचस्पी से काफी कुछ [हुआ है तथा अब उसी कार्य को श्री सादिक साहब काफ़ी दिलचस्पी लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए उनका बहुत शुक्र-गुजार हूँ। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई और कहा है कि पूरे लद्दाख जिले को बैकवर्ड क्लास में शामिल कर देंगे लेकिन वह कब तक होगा? मैं ने यहां पर सवाल किया था कि लद्दाख को शेड्यूल्ड ट्राइब्स या बैकवर्ड क्लास में रखना चाहिए लेकिन उस वक्त जवाब दिया कि संविधान का वह अंश जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। लेकिन अब कहते हैं कि बैकवर्ड क्लास में शामिल कर देंगे परन्तु खाली एलान करने से ही तो नहीं हो जायेगा [जब तक कि उसको किया न जाये। इस पर हमको सन्देह होता है। अगर जम्मू कश्मीर में संविधान का वह अंश लागू नहीं है तो उसको वहां पर लागू करना पड़ेगा। अब वहां पर एजिटेशन हुआ तो कह दिया कि

कर देंगे लेकिन बाद में फिर कुछ नहीं होता है। इसलिए उसको वहां पर करना चाहिए। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल होना चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट का सवाल वहां पर इसलिए नहीं उठता है क्योंकि वहां पर ज्यादातर बुद्धिस्ट और मुसलमान हैं।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, वहां पर काफी बच्चे शिक्षा में दिलचस्पी लेते हैं। डाक्टर, इंजीनियरिंग और दूसरी टेक्निकल एजुकेशन वह लेना चाहते हैं लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाती है। बहुत से बच्चे आई० ए० एस० बनना चाहते हैं लेकिन उसके लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स होना जरूरी है जिस से उनको कुछ कन्सेशन मिल सके। क्योंकि लद्दाख के बच्चों की बुनियादी शिक्षा ही ठीक नहीं है इसलिए वहां के बच्चे दिल्ली और दूसरे प्रान्तों के बच्चों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है।

गजेन्द्रगडकर कमीशन ने एक सिफारिश यह की है कि जम्मू कश्मीर राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहिए ताकि उसमें लद्दाख का नाम भी आये जिससे लद्दाखियों का विश्वास प्रबल हो सके। बैसे लद्दाख की तरफ किसी की निगाह नहीं जाती है। अगर चीन का हमला हो जाये या पाकिस्तान की तरफ से गड़बड़ हो जाय तभी लद्दाख की याद आती है। इस वक्त तो लद्दाख का नाम तक नहीं है, जम्मू कश्मीर का ही नाम है। गजेन्द्रगडकर कमीशन की उस सिफारिश पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी न किसी दिन झगड़ा जरूर होगा, वहां के लोगों को एजिटेशन करना पड़ेगा और वहां के लोग एजिटेशन करेंगे।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि लद्दाख के लिए एक डेवलपमेंट कौंसिल बनाई गई है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहना चाहना हूँ कि उससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उस के पास कोई पावर नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मे पहले

[श्री कुशक बाकुला]

लाहौल स्पीति में टगर कौंसिल बनी हुई थी जिसको कि पूरी पावर्स थी उसी प्रकार से पूरी पावर्स देकर के लद्दाख की डेवलपमेंट कौंसिल को भी बनाया जाना चाहिए ।

इसके साथ साथ एक बात मुझे यह कहनी है कि प्रीवी पर्स को यहां खत्म कर दिया गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए । मैं इसी सिलसिले में लद्दाख के राजा के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं । वहां पर राजा महाराजा तो कोई होता नहीं था लेकिन राजा का नाम है । लद्दाख पहले तक स्वतंत्र राज्य था तथा वहां पर लद्दाख के राजा जिसका वंश, अभी तक कायम है, राज्य करता था । मैं इस बेसिस पर यह क्लेम कर सकता हूं कि लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये । परंतु मेरी इस बात पर अब लोग हसंगे क्योंकि मैं स्वयं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं है । पर मैं तथा लद्दाख की जनता यह जरूर चाहेगी कि लद्दाख के राजा जिसके पूर्वजों ने स्वतंत्र लद्दाख पर राज किया था, को कुछ इमदाद दी जाय क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इस समय अत्यन्त दयनीय है । उनकी प्रीवी पर्स का भी कोई सवाल नहीं है । उनका साधारण लोगों की तरह से भी गुजारा नहीं हो पाता है । जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से उनको साल में 6 हजार रुपए मिलते हैं लेकिन उससे कोई काम नहीं चलता है । उनके पास बहुत से मंदिर हैं, उनको कुछ न कुछ पूजा करनी होती है और नया साल आने के मौके पर बहुत खर्चा करना पड़ता है । जो रुपया मिलता है वह उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी पूरा नहीं हो पाता है । उनका सालाना खर्चा करीब 53,225 रुपए होता है । लेकिन उस को पूरा करने के लिये, इस वक्त जो नये डेवलपमेंट कमिश्नर भजे हैं, उन्होंने ने इंसाफ़ कर के 10,000 रु० के लिये सिफारिश की है । जो मेरी राय में काफ़ी नहीं होगा, इस रकम को और बढ़ाना चाहिये । जो इस वक्त के डेवलपमेंट कमिश्नर हैं वह नौजवान और सोच समझ कर काम करने

वाले व्यक्ति हैं, और मुझे आशा है कि उन के द्वारा अच्छा काम होगा ।

आप ने सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को भी यहां से ही भेजा है, वह भी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन इस बारे में मुझे यही कहना है कि जब लद्दाख के पढ़े लिखे नौजवान लड़के वहां मौजूद ह तो उन को पदोन्नति का अवसर क्यों नहीं दिया जाता ? कारगिल के वहां दो मुसलमान आदमी हैं, एक का नाम श्री हसन खां है और दूसरे का नाम श्री मुहम्मद अब्बास है । एक और हमारे बुद्धिस्ट भाई हैं जिन का नाम श्री कोनचोक हैं जो बहुत काफ़ी बात से वहां डी० ए० पी० हैं । आप उन को ए० पी० क्यों नहीं बनाते हैं ? जब लद्दाख के पढ़े हुए लोग हैं तो उन को मौका मिलना चाहिये ।

लेह में पन-बिजली के स्तकना प्रोजेक्ट को आप ने हाथ में ले लिया अच्छा किया । लेकिन लद्दाख में तीन तहसीलें हैं—लेह, कारगिल और एक छोटी तहसील जान्सकर । इस छोटी तहसील में भी एक डीज़ल जेनरेटर लगाना चाहिये और पानी के द्वारा भी बिजली पैदा करने की कोशिश होनी चाहिये । कारगिल इलाके में एक मुरु नाला है, वहां से पनबिजली तैयार करने की एक स्कीम है लेकिन जो बिजली वहां पैदा की जायगी वह सिर्फ़ मिलिटरी की जरूरतों को ही पूरा करेगी लेकिन वहां के सिविल लोगों को इस स्कीम से कोई लाभ नहीं होगा । मेरी प्रार्थना है कि सिविल पोपुलेशन को भी बिजली देनी चाहिये । लेह में बुद्धिस्ट ज्यादा हैं, तथा कारगिल में मुसलमानों की संख्या अधिक है । अगर कारगिल में बिजली नहीं मोहिया की गई तो वहां चूंक मुसलमानों की संख्या अधिक है इसलिए हो सकता है कि वहां के मुसलमान भाई यह सोचें कि उन के साथ भेदभाव किया जा रहा है और इस के लिये केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है । इसलिये वहां भी बिजली का प्रबन्ध होना चाहिये । मैं ने इस बारे में होम सेक्रेटरी से बात की थी और उन को लिख रहा

हूँ, होम मिनिस्टर से कहूंगा कि इस साल वह कारगिल में पनबिजली प्रोजेक्ट शुरू करें।

हिंदुस्तान में बौद्धों की संख्या कम है पर उन थोड़े लोगों पर भी जुल्म हो रहे हैं। अगर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है तो लोग उस का विरोध करते हैं, जब कि यदि यही काम और धर्मावलम्बियों द्वारा किया जाता है तो कोई उस की चिन्ता नहीं करता। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उस का विरोध नहीं होना चाहिए। डा० अम्बेडकर ने लोगों को बौद्ध बल प्रयोग कर के नहीं बनाया था बल्कि भगवान बुद्ध का शान्ति, अहिंसा और मित्रता का संदेश दे कर लाखों लोगों को बौद्ध बनाया था, और यह लोग ज्यादातर अनुसूचित और आदिम जन जातियों से आये थे। बौद्ध धर्म में आने से पहले जो अनुसूचित जाति में होने के कारण उन को कुछ सुविधायें मिलती हैं वे सुविधायें उनके धर्म परिवर्तन के बाद बन्द कर दी जाती हैं। यह सरासर अन्याय है। पिछड़ी जातियों को कन्सेशन देने का पर्पज यह है कि उनको और जातियों की बराबरी में आने का चान्स हो। पर बौद्ध धर्म कबूल कर लेने से ही उनका यह पर्पज पूरा नहीं होता। उनकी स्थिति वैसी ही रहती है। अतः मेरे विचार में यह कन्सेशन उनको मिलना चाहिये। माननीय चव्हाण साहब जब महाराष्ट्र में मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कुछ लोगों को सुविधायें दी थी। अब वह केन्द्रीय सरकार में गृह मंत्री हैं इसलिये उन से मेरी प्रार्थना है कि वह बौद्ध लोगों की मदद करें, और देखें कि उन को किसी प्रकार की धमकियां लोगों द्वारा न दी जायें।

अब मैं एक बात नेफ्रा में स्थित ताबांग मोनास्ट्री के बारे में कहना चाहता हूँ। यह स्थान चाइनीज सीमा पर है। उस मोनास्ट्री के हैड लामा वहाँ के करीब 200 बच्चों के लिये एक एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं। उसके लिये उनकी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। मैं गवर्नमेंट से यह प्रार्थना करूंगा कि इस शुभ कार्य के लिये उनकी सहायता

करें। इसके अतिरिक्त ताबांग के सेला पास के जरिये एक सड़क द्वारा देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जाय ताकि वहाँ की तरक्कीयाती कामों के करने में आसानी हो। इसके अतिरिक्त वहाँ पर पीने के पानी तथा सिंचाई के साधनों की उचित व्यवस्था बहुत जरूरी है।

मैं इन शब्दों के साथ गृह मंत्री द्वारा पेश की गई मांगों का समर्थन करते हुए अपना विचार समाप्त करता हूँ तथा आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभा-ध्यक्षा जी, हमारे देश में गृह मंत्रालय का और गृह मंत्री का कितना महत्व है इस का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में गृह मंत्रालय का दायित्व सरदार पटेल ने स्वयं अपने कंधों पर लिया। सरदार पटेल का साहस, उन की निर्भीकता और उन की प्रतिभा तीनों ही गृह मंत्री के लिये आदर्श का काम कर सकती हैं। परन्तु दुर्भाग्य से सरदार के पश्चात् इन तीनों बातों में कुछ न्यूनता आती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के लिये एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ। 1962 में जब हमारे देश पर चीन का हमला हुआ तो 14 नवम्बर, 1962 को हम ने इसी सदन में खड़े हो कर के सब ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिस के शब्द थे कि "भारत की धरती जब तक हम स्वतंत्र नहीं करा लेते शत्रु से तब तक हमारा यह संघर्ष बराबर जारी रहेगा भले ही वह कितना ही लम्बा क्यों न हो।" लेकिन कुछ दिन बाद आग चल कर जब राष्ट्रीय एकता का एक सप्ताह या दिवस मनाया हम ने प्रारम्भ किया तो हम ने उस प्रतिज्ञा को कुछ दूसरे शब्दों में बदल दिया। और उस प्रतिज्ञा के शब्द यह थे : "मैं अपने देशवासियों के संकल्प को दोहराता हूँ कि मैं अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता तथा एकता की रक्षा करूँगा चाहे इस के लिये संघर्ष कितना ही कड़ा और लम्बा क्यों न करना पड़े। मैं राष्ट्रीय एकता तथा सबलता के लिये तन मन से काम करने की शपथ लेता हूँ।" लेकिन इस बार राष्ट्रीय

[श्री प्रकाशवीर शाली]

एकता सप्ताह के सिलसिले में एक छोटा स प्रकाशन भारत सरकार की ओर से प्रकाशित हुआ है। इस प्रकाशन में स्वयं इन्होंने लिखा कि 1962 में चीन द्वारा आक्रमण के बाद शपथ की भाषा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है, और जो शब्द परिवर्तित किये गये हैं उन को भी मैं सुनाना चाहता हूँ। "मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूँगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रान्त संबंधी तथा अन्य सभी राजनीतिक और आर्थिक विवादों का शान्तिपूर्वक और संबंधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिये।"

अब मैं आप के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 1962 में जो संसद ने यह निर्णय किया था क्या भारत सरकार अपने उस निर्णय से हट रही है? और अगर अपने निर्णय से हट नहीं रही है तो यह जो एक सरकारी प्रकाशन है कि जिस में 1962 की शपथ में परिवर्तन किये गये हैं उस के आधार क्या हैं? क्या इसे हम यह समझें कि चीन का किसी तरह का दबाव इस प्रकार का पड़ रहा है कि जिस ने सरकार के सोचने के ढंग में परिवर्तन कर दिया है? मैं गृह मंत्री महोदय से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जिस आसन पर बैठे थे आज आप उस आसन पर बैठे हैं और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व आप के कंधों पर है। इस प्रकार के ये प्रकाशन जो सरकार की दुर्बलता के परिचायक हैं इन के सम्बन्ध में आप को गम्भीरता से कुछ निर्णय लेना चाहिये और सोचना चाहिये कि कौन तत्व हैं इस प्रकार के जो संसद के निर्णय के खिलाफ इस प्रकार के प्रकाशन करते हैं।

दूसरी बात मैं साम्प्रदायिक तनावों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। इस साम्प्रदायिक तनाव से निश्चय ही हमारे देश की जो आंतरिक स्थिति है उस में चिन्ता व्याप्त है और दुनिया के दूसरे देशों में हमारा देश बदनाम होता है। पहले

मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि अब तक जितने भी साम्प्रदायिक उपद्रव हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हुए हैं, गृह मंत्रालय इस बात की जानकारी ले कि इन का प्रारम्भ कहाँ से होता है और कौन उन का प्रारम्भ करता है? अगर इस देश का बहुमत उन का प्रारम्भ करता है अपने संख्या बल के दुरभिमान में, तब तो मेरा कहना यह है कि बड़ी कड़ाई के साथ उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिये। और अगर अल्पसंख्यकों की तरफ से प्रारम्भ होता है तो मैं समझता हूँ कि उन के अन्दर इतनी अज्ञता नहीं होगी। जब वह जानते हैं कि इस का परिणाम यह होगा कि हम को और हमारे दूसरे सहयोगियों को चोट लग सकती है। फिर भी वह इस का प्रारम्भ करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तीसरी शक्ति जरूर है जो आज भी 22 वर्ष के बाद हमारे सामाजिक जीवन को विषम बनाना चाहती है। उदाहरण के लिये मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। पहले गृह-मंत्रालय जब अपनी यह वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता था तो इस के अन्दर यह आंकड़े दिया करता था कि हमारे देश में दुनिया के किस किस देश के कितने नागरिक रह रहे हैं। लेकिन अब शायद जानबूझ कर गृह मंत्रालय ने अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के लिये कई आंकड़े देना बन्द कर दिया है। लेकिन फिर भी प्रश्नों के उत्तर में यदा कदा कुछ इस प्रकार के आंकड़े सामने आ जाते हैं। अभी यहाँ जब पूछा गया कि हमारे देश में पाकिस्तान के नागरिक कितने ऐसे हैं कि जो पासपोर्ट ले कर के रह रहे हैं? तो इन्होंने 27-2-70 को उत्तर दिया कि इस समय पासपोर्ट के आधार पर जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उन की संख्या 27,615 है। जब यह पूछा गया कि ऐसे कितने हैं कि जिन के पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गयी और जो यहाँ रह रहे हैं। तो इन का कहना यह है कि 11,7171 दोनों को मिला कर यह संख्या लगभग साढ़े 39 हजार होती है। फिर यह पूछा गया कि ऐसे कितने हैं जो इस देश के अन्दर अवैध ढंग से रह रहे हैं या बिना पासपोर्ट के रह रहे हैं? तो 25-2-70 को

राज्य सभा में यह उत्तर दिया कि उन की संख्या 12,823 है, और जिन में 3,773 वह पाकिस्तानी नागरिक हैं कि जिनका कुछ पता ही नहीं है कि भारत के किस कोने में और किस प्रांत में हैं। इन आंकड़ों को अगर मैं जोड़ू तो ये सब मिलकर 52 हजार के करीब बैठते ह। पहले गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा के आधार पर आसाम के अन्दर भी कुछ पाकिस्तानी अवैध रूप से प्रवेश कर गये थे। साढ़े तीन लाख से अधिक उनकी संख्या थी। उस में से शायद 50 हजार पाकिस्तानी वापस नहीं भेजे जा सके हैं। तो आज जो चार, पांच लाख पाकिस्तानी भारत के अन्दर रह रहे हैं, मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या गृह मंत्रालय ने इस बात की जानकारी ली है कि हमारे देश में जो साम्प्रदायिकता की आग जगह जगह पर भड़कती रहती है इनमें क्या इन पड़ोसी देशों और उनके एजेंटों का हाथ तो नहीं है जो लोग हमारे देश के आन्तरिक जीवन को विषाक्त कर रहे ह।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अन्दर बहुसंख्यक हिन्दू हैं, हमारे देश में यहूदी भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं उनके साथ साम्प्रदायिक विवाद की स्थिति कभी नहीं आई। इससे मुझे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पड़ोसी देश हमारी स्वतन्त्रता के बाद इस प्रकार की गतिविधियां हमारे देश में जारी रखे हुए हैं जोकि हमारे सामाजिक जीवन को विषाक्त और हमारे देश को बदनाम करे।

अगली बात मैं जो कहना चाहता हूँ वह प्रान्तों के विवादों के सम्बन्ध में है। प्रान्तों के विवादों की स्थिति हमारे देश में इस प्रकार की होती जा रही है जैसे कि दो शत्रु देशों की आपस में। बेलगांव को लेकर मंसूर और महाराष्ट्र में जो तनाव आजकल बढ़ रहा है, वह बिल्कुल इसी प्रकार का है। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा में एक तनाव चला। तेलंगना को लेकर आन्ध्र प्रदेश में इसी प्रकार की स्थिति चल

रही है। उसमें 300 के लगभग लोग मर गये और एक हजार से अधिक घायल हुए और कहा जाता है कि 25 हजार के लगभग जेल में गये, जिसमें 30 वहां के विधान सभा के सदस्य भी थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार के निर्णय लेने की स्थिति क्या है? सरकार में कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के सम्बन्ध में निर्णय लिया। न्याय कहता है कि चंडीगढ़ हरियाणा को जाना चाहिए, शाह कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि चंडीगढ़ हरियाणा को जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हरियाणा की जनता सीधी-साधी थी, इनके पास जल मरने की धमकी देने की ओर इसी प्रकार की दूसरी बातें नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया गया। पर चंडीगढ़ पंजाब को दिये जाने के बाद आज क्या पंजाब में चंडीगढ़ के प्रश्न पर शान्ति हो गई? पहले जो वहां के चीफ़ मिनिस्टर गुरनाम सिंह थे, उन्होंने निर्णय होते ही फिर धमकी देना शुरू कर दिया। अब जो नई सरकार बनी, वह भी इस प्रकार की धमकी दे रही है और मुख्य मंत्री धमकी दें तो दें, यह बात समझ में आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति की बात यह है कि गृह मंत्रालय जिन लोगों को राज्य के राज्यपाल के पद पर बैठाता है, इस प्रकार के जिम्मेदार आदमी अगर किन्हीं प्रान्तों में जा कर आग भड़काने की कोशिश करें और गृह मंत्री चुपचाप बैठ कर देखते रहें तो क्या यह गृह मंत्री का काम है? राजस्थान के राज्यपाल श्री हुकम सिंह ने अभी चंडीगढ़ के एक कालेज के दीक्षान्त भाषण में फाजिलका और अबहोर के प्रश्न को लेकर यह कहा कि पंजाब को बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी है। केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय के ओर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय को इस के ऊपर मजबूती के साथ कोई कदम उठाना चाहिए। अगर इस प्रकार से एक प्रान्त का राज्यपाल दूसरे प्रान्त में जाकर इस प्रकार की आग भड़काए, तो इस प्रकार के लोगों को राज्यपाल के जिम्मेदार पद पर बैठने का

[श्री प्रकाशबीर शास्त्री]

कोई अधिकार नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप इस पर गम्भीरता से सोचें।

तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वह है सीमा विवाद। मेरा तो निश्चित रूप से यह सुझाव है कि जितने भी राज्य के इस प्रकार के विवाद हैं सीमा सम्बन्धी या किसी और प्रकार के इस के लिए कोई एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण बनाया जाए लेकिन वह वास्तव निष्पक्ष न्यायाधिकरण हो। उस की राय का या उसकी जो रिपोर्ट हो, उस का सम्मान होना चाहिए। ऐसा न हो कि शाह कमीशन की तरह से उसकी रिपोर्ट आए और फिर वह इस प्रकार विवाद का विषय बन जाए। इस पर आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए।

दूसरी बात, मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए, राज भाषा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। राजभाषा के सम्बन्ध में मेरा कहना है, चव्हाण साहब को यह पता है, कि आज देश में अधिकांश राज्यों के विश्वविद्यालयों ने अपने राज्यों की भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बना दिया है, पर दुख है कि जो संघीय लोक सेवा आयोग है, उस पर अंग्रेजी छाई हुई है। 1967 के राज्य भाषा संशोधन विधेयक के अनुसार इस देश की राज्य भाषा हिन्दी है, अंग्रेजी केवल सह-भाषा है, लेकिन कानून के हिसाब से तो हिन्दी ही राज भाषा है, पर धक्के-शाही के हिसाब से अंग्रेजी राज भाषा है, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि 1967 के कानून में अपने इजाजत दी है कि आपके कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्ति चाहें तो छोटी छोटी टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखें। लेकिन मुझे पता है कि आज आप के इन कार्यालयों में इस प्रकार के अधिकारी बैठे हुए हैं जो कि मौखिक रूप से उनकी घमकियाँ बते हैं कि अगर वे हिन्दी में टिप्पणियाँ लिखेंगे तो उनकी पदोन्नति पर असर पड़ेगा। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। आप कम से कम इतना काम करें कि जो हिन्दी जानने वाले मंत्री हैं अगर वे कुछ थोड़ा बहुत हिन्दी में काम करना प्रारम्भ कर दें,

सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर पर काम हिन्दी में करना प्रारम्भ करें तो नीचे के व्यक्तियों को उससे प्रोत्साहन मिलेगा और इससे एक वातावरण बनेगा। आप इस दृष्टि से इस पर विचार करें।

अगली बात, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं इस लोक सभा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि राज्य सभा ने अपने यहां अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी अधिकांश काम प्रारम्भ कर दिया है। आज ही का समाचारपत्र आपने देखा होगा। जरा मी घटना राज्य-सभा में घटी कि वहां की जो सिनोपसिस है, सारांश है, एक दिन देर से आया और राज्य सभा के अन्दर शोर हो गया। यहां पर तो पन्द्रह पन्द्रह दिन में सारांश मिलता है। मैं आप से केवल इतना कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से गृह मंत्रालय को कि वह लोक सभा सचिवालय को इतना कह दे कि लगभग 150 सदस्य यहां इस प्रकार के हैं जिनको अंग्रेजी के आप के प्रशासनों से कोई लाभ नहीं ले पाता और वे अभी तक धैर्य से काम ले रहे हैं। क्या आप यह चाहेंगे कि लोक सभा में खड़ हो कर किसी प्रकार का प्रदर्शन उन्हें करना पड़े? ऐसी स्थिति न आने पाये तो कम से कम यह अवश्य होना चाहिए कि जितने भी विधेयक या जितनी भी सरकारी विज्ञप्ति आएँ, उनको दोनों भाषाओं में आना चाहिए। संविधान में आने के बाद और राज-भाषा संशोधन विधेयक के पश्चात् हिन्दी का अपमान नहीं होना चाहिए।

दो बातें और हैं जिनको मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ। एक बात तो कहना चाहता हूँ लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की जांच के सम्बन्ध में। श्री यशवन्तराव चव्हाण, हमारे देश के उस समय रक्षा मंत्री थे जिस समय कि लाल बहादुर शास्त्री का देहावसान ताश्कन्द में हुआ। सरदार स्वर्ण सिंह भी वहां पर थे। अब जो तथ्य छीरे प्रकाश में आ रहे हैं जैसे डाक्टरों की रिपोर्ट परस्पर विरोधी है इन तमाम तथ्यों ने देश के मस्तिष्क

में बड़ा भारी सन्देह उत्पन्न किया हुआ है। नेहाजी सुभाष चन्द्र बोस के लिए अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनकी मृत्यु की दुबारा जांच करने के लिए मंत्री-परिषद एक व्यक्ति के आयोग की नियुक्ति कर सकती है, तो लाल बहादुर शास्त्री तो इस देश के प्रधान मंत्री थे और ऐसे प्रधान मंत्री थे कि जिन्होंने कुछ महीनों में ही इस देश के दिल को जीत लिया था। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से कहना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किन परिस्थितियों में किन कारणों से और कैसे हुई, इस की एक उच्च-स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिये, जिससे कि इस देश के दिमाग में बैठा हुआ जो सन्देह है, वह मिटे। मेरे पास कुछ तथ्य हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर उच्च-स्तरीय जांच होगी, तब उनको उसके सामने रखेंगे और अगर उच्च-स्तरीय जांच का कोई फैसला नहीं किया गया तो विवश हो कर सदन के अन्दर उन तथ्यों को रखना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए।

●
अन्त में एक बात, जिसको कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूँ, प्रशासनिक सुधार आयोग के सम्बन्ध में है। प्रशासनिक सुधार आयोग की 27 रिपोर्टें आप को मिल चुकी हैं और 27 रिपोर्टें मिलने के बाद भी आपने कोई अमल उन पर नहीं किया। जब प्रशासनिक सुधार आयोग बैठा था तो आपने यह कहा था कि इसको इसी तरह का महत्व दिया जाएगा जिम तरह से अमरीका में हूबर कमीशन को महत्व दिया गया था। 27 रिपोर्टों के मिल जाने के पश्चात् भी आपने कितने प्रति-ज्ञात रिपोर्टों पर अमल किया है? इतना उच्च-स्तरीय आयोग आपने बैठाया और होना तो यह चाहिए था कि आज उस की रिपोर्ट आती और कल सरकार उस पर निर्णय लेती। लेकिन वह तो आई० सी० एस० और आई० ए० एस० 'आफिसर्स' के चक्कर में पड़ी है। उन पर टिप्पणी चल रही है, उन पर नोटिस

चल रही है और प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों को रद्दी की टोकरी, में फेंकने की तैयारी की जा रही है। अगर इतने महत्वपूर्ण आयोग की रिपोर्ट पर सरकार अमल नहीं कर सकती, तो इस देश में कोई आयोग बैठाने का कोई अर्थ नहीं रहगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसपर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और उनके सुझावों को तत्काल लागू करना चाहिए

MR. CHAIRMAN: Shri Randhir Singh.

SHRI RANGA (Srikakulam): When is Shri Inam going to be called?

MR. CHAIRMAN: That question has already been resolved. Probably you were not in the House at that time.

SHRI RANGA: We cannot go on waiting for three rounds.

MR. CHAIRMAN: It has already been decided that every party must have a round first. The first round is completed with Shri Prakash Vir Shastri's speech. After this the second round will start and Shri Imam will have the first chance.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: The time allotted for the party in power and the Opposition is fixed. The ruling party was allotted 3 hours and 5 minutes. You should call them only after taking into consideration the 40 minutes that the Home Minister is likely take. If some time remains after that, you can accommodate them. But if their time is exhausted . . .

MR. CHAIRMAN: It is not exhausted.

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secunderabad): Those who are on your list should be given some time because they have been waiting here in the queue.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: Kindly find out how much time has been taken by the party in power.

MR. CHAIRMAN: Mr. Bakar Ali Mirza, your name happens to be in a group which has not time allotted to it.

SHRI BAKAR ALI MIRZA: I should have been told that I will not get a chance. I have been waiting for three days. I have no time to waste. I have not come here only to listen to you or to these people. I have also something to say.

MR. CHAIRMAN: Shri Randhir Singh.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मंडम, हमारा देश एक अमली दौर से गुजर रहा है। कई ताकतें ऐसी हैं जो देश में तब्दीलियां चाहती हैं। जब तब्दीलियां होती हैं किसी देश में तो उसमें कुंदरती तौर पर कुछ जगह ऐसी बातें भी हैं जिनके लिए तजवीज होती है, लेकिन फिर भी, होम मिनिस्ट्री की तरफ इसकी जो कारकीर्दगी है, पिछले कई सालों से उन बातों में हम महमूस करते हैं कि खामियां भी हो लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिनसे हम दिली तसल्ली हैं। जैसे नागालैंड का मसला है, जैसे वहां पहले हालात थे, अब वहां हालात खराब नहीं हैं और इसके लिए हम कुछ न कुछ मुबारकबाद देते हैं होम मिनिस्ट्री को कि वहां इन्वेश्शन के बाद ऐसी ताकतों के हाथ में हुकूमत है जो कि देश की साथ ज्यादा से ज्यादा रिस्ता-नाता जोड़ती जा रही हैं और जो ताकतें देश के खिलाफ पहले काम करती थीं वह नहीं हैं।

काश्मीर में भी शेख अब्दुल्ला को बड़े गर्मिजाज होते थे, उनके दिल में तब्दीली आती मालूम देती है और वह हिन्दीके हिन्दुस्तान के हक की बातें करने लगे हैं। असम में भी जहां झगड़े होने थे, वहां भी हम देखते हैं कि मेघालय में जो रिफाइनरी का झगड़ा था वहां अब हालत नार्मल हो गई। जहां तक लेंग्थ का सवाल है, तमिलनाडु में जो कंट्रोवर्सी चलती थी, वह भी पूरी की पूरी तो नहीं, कमोवेश 80 प्रतिशत तय हो चुकी है। बंगाल में की एक दो दफे मिनिस्ट्री को हटाने की कोशिश की गई, उनको काबू कर लिया गया। हिमाचल में आप देखिए, वहां कई हजार मास्टर्सें हड़ताल की, वह भी डालात अब ठीक हो गए। अहमदाबाद में आपने देखा कि देश बढ़ी गलत डाइरेक्शन में चल रहा था, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने महसूस किया कि इसका हल होना चाहिए और इस रिपोर्ट भी हमने

सोपी तो नउ आया कि उधर भी कोई न कोई देश के हित की बात कही जा रही है। डिफेन्शन के लिए कमेटी बनाई हुई है।

मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे 4-5 मिनट डिस्टेंब न ीजिए। जो बात मैं कहना चाहता था, वह यह है कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक वानिंग आई है कि इस देश में वह हालात नहीं हैं, जो गरीब जनता चाहती है वह जल्दी से जल्दी किया जाय वरना इस देश के लिए खराबी हो सकती है। यहां के हालात खराब हो जाएंगे। जितनी भी बातें मैंने कही हैं उनके लिए होम मिनिस्ट्री की छाप है, जितमें बजीर है उनकी छाप है, उसको हमें दरगुजर नहीं करना चाहिए, वरना हमारी कोताही होगी।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह मेरे सूबे के सिलसिले में है, फाजिल्का के मिलसिले में। हमें मंजूर नहीं था, फिर भी चंडीगढ़ हमसे लिया गया क्योंकि मैं महो मानता हूँ कि चंडीगढ़ और खरड का 75 परसेंट पंजाबी स्पीकिंग है। मैं पाटिल साहब की बात यहां मानता हूँ कि एक ओर तो जुडिशरी को वह चीज दी जाए और मैं उनकी बात को दुहराता हूँ कि मुफ्रीम कोर्ट के 5-7 जजों का परमेनेंट पीनल क्रियेट किया जाय और वह ऐसे झगड़ों को जिनमें करोड़ों लोगों का खून होता है इस किस्म के तथा चंडीगढ़ और खरड हिंदी स्पीकिंग हैं या पंजाबी स्पीकिंग हैं, हरियाणा का है या पंजाब का है। वह काम उनको सोंप दिया जाय। फाजिल्का का बाउन्डरी कमीशन से क्या ताल्लुक है। उसका कबजा हमें दे दिया जाए। अगर वह नहीं करेंगे तो वहां तो कौबे बोलने लग जाएंगे। पानी नहीं मिलेगा, कोई रोड्स नहीं बनेगी। उन लोगों को क्यों फांसी के तख्ते पर लटका रहे हो। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि फाजिल्का तुरंत हमको दे दिया जाए। बाउंडरी कमीशन की जो बात कही गई है यह उस को आग लगा रही है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अगर कोई झगड़े हों तो उनके चीफ मिनिस्टर आपस में बैठकर तय करें, वरना वह

काम पैनल को दिया जाए। अगर एक कमीशन आपने बना दिया, शाह कमीशन की क्या दुर्गति हुई महाजन कमीशन की क्या दुर्गति होगी, इन कमीशनों से भगवान हमें बचाये, हम इन कमीशनों की बात नहीं मानते। हाई कोर्ट के जज और आप क्या फंसला करते हैं यह सभी को मालूम है। आप उनको क्यों इन कमीशनों में डालकर उनकी बेइज्जती करते हो।

जब जो बात मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा खतरा इंडियनाइजेशन में है। आप इंडियनाइज किसको करते हैं। यह देश सिखों का है, हिन्दुओं का है, बौद्धों का है, चीनियों का है। तुम ठेकेदार इस देश के कहां से बन गए। यहां दस करोड़ आसामी हैं, कितनी पार्टियों का यह देश है, विरादरी का है, उमके लिए रेक्रूटिंग ऑफिसर जनसंघ को बना दिया कि यह मुसलमान हिन्दुस्तानी है या नहीं, सब सबसे ज्यादा छुरा धोपने वाली बात है देश के लिए। देश के इंटिग्रेशन के लिए ये दुश्मन हैं।

दूसरी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। बंगाल के भाई कहते हैं कि हमें जगहें दो वरन हम इस देश में एक इंकलाब ला देंगे, हम पालियामेंटी सिस्टम में विलीन नती करते। केरल के भाई कहते हैं हमें गेहूँ हो, चावल दो, नहीं दोगे तो हम अलग हो जाएंगे। अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात न रोकी गई तो यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं समझता हूँ कि देश में सेंट्रलाइजेशन करो। अगर चार-पांच जोन बना दें तो अच्छा है। पांच-सात सूबों के अन्दर एक जोन बना दिया जाए।

17.08 hrs.

[Shri Shri Chand Goyal in the chair]

पांच-सात सूबों का एक जोन बना दिया जाए और उनके लिए एक सर्विस कमीशन बना

दिया जाए, एक हाई कोर्ट बना दी जाए। वरना इस देश का क्या बनेगा। हिन्दुस्तान में 148 सूबे भी बन जाएंगे तो भी कसर रहेगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो नारा है, इसके नाम पर जो झण्डे जलाये जाते हैं, जो रेंने झूकी जाती हैं, जो आईन की धज्जिया उड़ाई जाती हैं, वह खत्म कर दो।

ओवर सेंट्रलाइजेशन की जो बात करते हैं वह ठीक नहीं। क्या आप भंस का भी नेशनलाइजेशन करेंगे, बकरी का नेशनलाइजेशन करेंगे? किसान कहता है कि सीलिंग तो कर दी फिर भी सीलिंग की जमीन हमारे पास रहेगी या नहीं। कुम्हार कहता है कि मेरा गध़ा मेरे पास रहेगा या नहीं। चरबाह कहता है मेरे पशु मेरे पास रहेंगे कि नहीं। दुकानदार कहता है कि सीलिंग मुकर्रर करने के बाद भी मेरी दुकान रहेगी या नहीं। या गरीब हरिजन मकान भी उसके पास रहेगा या नहीं। यह ओवर सेंट्रलाइजेशन का जो बिल है, नाथपाई का जो बिल है, यह आम देश में चला गया है इस बात को आप देखें।

यह ओवर नेशनलाइजेशन की बात खत्म होनी चाहिये जिसमें कि एक काश्तकार की 20-20 एकड़ तक के लैंड पर यह सीलिंग आदि न लगाई जाय और इस लिमिट तक न छेड़ा जाय बाकी के ऊपर जो करना हो वह भले ही करा जाय....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब बँट जायें। मैं दो मिनट बा घंटी बजा चुका हूँ।

श्री रणधीर सिंह : बस में बँठा ही जाता हूँ तीन में ने दुश्मन बताये। एक तो बताया वह इंडियेनाइजेशन जिसका कि मेरे भाई गुता जी नारा लगाने हैं। दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन है और तीसरा ओवर नेशनलाइजेशन है।

सभापति महोदय : आर्डर आर्डर। मैं श्री इमाम को बुला रहा हूँ :

श्री रणधीर सिंह : खत्म हुआ जाता है। मैं वहाँ पालियामेंटी डेलिगेशन में अहमदाबाद गया था और मैंने प्रधान मंत्री जी को एक

[श्री रणधीर सिंह]

रिपोर्ट पेश की थी कि वहाँ के जैसे हालात हैं उस में पुलिस विभाग में मुसलमानों का हिस्सा होना चाहिए। इस के अलावा मैं इस बात का भी कायल हूँ कि उर्दू को जो कि इस देश की एक नेशनल ऊबान है उसको उसकी वाजिब जगहा और दर्जा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए।

मैं सभापति महोदय, आप का बड़ा मशकूर हूँ कि आप ने मुझे मौका दिया।

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this chance. The Home Ministry is an important Ministry in the Government. It plays a vital role in the national integration of the country. The responsibility is all the greater in a country where there are a number of political parties, where there are a number of States, with different political complexions. It is the duty of the Home Ministry to see that it forges the unity of the nation and that the nation is strengthened and consolidated. It is also the function of the Home Ministry to see that there is stability, safety and well being and also there is peace in the country. But the recent events have shown that the Home Ministry has not been contributing to the safety and well being of the country. We see in the horizon various disintegrating tendencies. We have seen on the horizon various disruptive tendencies. There is more of disruption rather than construction. Sir, it is more marked after the recent split in the Ruling Congress party, a split into Cong(R) and Cong(O). They consider that the party is above the country and the nation is forgotten and they have forgotten their own duties.

Sir, yesterday, Shri S. K. Patil said that the Centre does not regard it as its duty to maintain law and order. And, whatever happens in the States, whatever turmoil happens in the States, is shoved on the States. Sir, the Naxalites have been doing havoc throughout the country. They have been killing people. Is it not the responsibility of the Centre to put them down?

Sir, students are in a rampage throughout the country and they even go to the extent of getting into the

room of the Vice-Chancellor, manhandle and burn the offices. Is it not the responsibility of the Centre? In Bengal, it has been mentioned, thousands of persons have been killed. Still the Centre does not care for it. The Shiva-Senas and other militant bodies have come into prominence and the Centre is not doing anything to put them down. The Home Ministry is complacent. Then, whose responsibility is this? If it is not the responsibility of the Home Ministry, then, whose responsibility is this? What justification is there for the existence of the Home Ministry? They are interested in only satisfying their party appetites. They cannot rise above the party; they place the country below their party interests and act accordingly. I may mention briefly how they have bungled to resolve the dispute between Mysore and Maharashtra and also other similar questions.

All the greatest things are simple. Any complicated matter can be resolved, provided its solution is based on justice? Truth, and Honour. But when you deviate from the path of justice complications will arise. I state—the Home Minister, the Home Ministry and the Central Government have bungled from the very beginning in this matter; and completely mismanaged it. They have shown lack of foresight and failed to realise the serious situation and the serious tension and this serious position now is entirely due to the Home Minister and the Home Ministry. Sir, just now the Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Vidya Charan Shukla has stated that he was not responsible, the Government of India is not responsible for the complicated state of affairs. But I say emphatically that it is they,—and they alone—that are responsible. Why has this become so serious? Who is responsible? I can state the factors which made with serious.

In the first place it is no wisdom to disturb and unsettle a matter which has already been settled by competent authorities. Secondly, our agreements, pledges entered into must be honoured and must be implemented. Thirdly, when a Commission has been appointed by the agreements of both the parties, it is the duty of the government as well as the duty of the Home Minister to treat the recommendation as binding on them especially when the Commission was appointed at the instance of these States themselves. Fourthly, sabotaging the existing principles laid

down by the S.R.C.—principles according to which the entire country was reorganised, and accepted by Parliament,—and substituting them by new principles according to one's own convenience. And, fifthly, this is the most important point, the Home Minister has placed himself in an embarrassing position and his failure to rise above regionalism and parochialism. Lastly, the failure of the government to take the Parliament into confidence, by refusing to place the Mahajan Commission's Report before this House, for its consideration.

The appointment of this Commission was initiated by the State of Maharashtra—Maharashtra Government—and its people resorted to satyagraha and hunger strike and forced the Prime Minister and the Government to appoint this Commission. Then the Commission was appointed. Mysore State on the other hand resisted its appointment. A number of lives were lost as a result of firing. Mysore did not want to re-open the boundary question as they knew that complications would arise. They also observed satyagraha and as a result there was a shooting and half a dozen people were killed. It was at the instance of the Maharashtra Government alone that this Commission was appointed and wanted a single man Commission. When the Commission was appointed both the Chief Ministers of Maharashtra and Mysore, the Home Minister and the Working Committee, entered into a solemn agreement that the findings of the Mahajan Commission would be binding and they must be treated as an award. It is on record. The Working Committee composed of members from both the parties, resolved that the border disputes shall be resolved on the basis of the principals laid down by the S.R.C. Report and that its findings shall be final. There are a number of statements made by Shri V. P. Naik and others stating that the Commission's Report would be honoured. Till the report was published they were hailing Mahajan that he was a Daniel. But when the report came out Mysore had cause for depression because many valuable tracts including Nippani and Khamapur which fetch an income of more than Rs. 4 to 5 crores were given to Maharashtra. Maharashtra wanted Belgaum. They forgot about their previous assurances and previous obligations and pledges. They began to blaspheme and command tirade against Shri Mahajan. He was a retired

Supreme Court Chief Justice. He was appointed to demarcate the border with Pakistan, whose services were hailed and recognised. But he was treated with contempt and his effigy was burnt. He was very much hurt and this hastened his death. Is this the attitude to be adopted? Is there no sanctity for his report? On the other hand, what pained me most was that when a Mysore delegation consisting of MPs approached the Prime Minister—and I myself put forward the case of Mysore and pointed out that the sanctity of the report must be respected, the Prime Minister—these are her very words—“Where is the sanctity for any report of any commission?”

SHRI PILOO MODY: It is a direct quotation from Lenin and Stalin.

SHRI J. MOHAMED IMAM: Later on, it was said that what she said had been distorted, but these are her very words which I repeat, “Where is the sanctity for any report of any commission?” It gave me a shock.

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ (Wardha): Her farther unfortunately did the same thing with SRC.

SHRI J. MOHAMED IMAM: I said, “We stand by the Commission report in spite of the fact that we lose very valuable tracts of Nippani and Khanapur.”

I know Shri Chavan is a nice gentleman and stalwart. But all those who know him best will be the first to sympathise with him. I know he is in a fix, because this movement was started when he was Chief Minister of Maharashtra. Then he came over to the Centre. The best thing for him would have been to divest himself of the Home portfolio, but I admire his strategy.

SHRI PILOO MODY: He should have taken up tourism.

SHRI J. MOHAMED IMAM: What were his moves? In the first place when the report was published in Aug. 1967, instead of doing his duty to place it before Parliament, he threw it into the gutter. Was that the reason for which the Commission was appointed? I will cite three or four instances showing his attitude to scuttle the report. I am sorry he is not here; let me not be misunderstood that I am saying this behind his back. When the question was raised

[Shri J. Mohmed Imam]

in this House he said 'I am going to ascertain the national consensus'. He invited MPs and opposition leaders. There was no understanding reached. Then he took it up in the National Integration Council at Srinagar. He moved that all border disputes should be solved through an agency to be appointed which the Mysore Chief Minister opposed. He wanted to scuttle it by appointing some other agency. His next move was evident when the Prime Minister sent her emissaries to Bangalore with a proposal to bifurcate Belgaum and other places. I am sure this was not the proposal of the Prime Minister because she knows very little about that area, about those villages and towns. She must evidently have been briefed by the Home Minister or someone of his view. The Mysore Chief Minister refused to agree. The Home Minister cannot escape his responsibility for this preposterous propositions but before the Mysore Chief Minister which he wisely rejected.

SHRI KAMALNAYAN BAJAJ: There would be two Berlins then, in India.

SHRI J. MOHAMED IMAM: It is said that Shri Mahajan made his recommendations without any principles or a yardstick. But what was the mandate given to him by the Working Committee on the basis of the fundamental principles laid down by the SRC and accepted by Parliament? He followed exactly those principles. They were four: historical background, administrative convenience, economic viability and linguistic homogeneity. First it was on a district-level; still they said we can go down to taluk level. When the population of a linguistic group was 70 per cent, when it will go to that area. These were the principles according to which the entire country was reorganised and these have been approved by Parliament. What is the village Until principle? The Chief Ministers of Andhra and Tamil Nadu came to an agreement regarding the allocation of the villages on the border between Tamilnadu and Andhra. Whoever had a greater majority would take that village. After they entered into the agreement, they asked Mr. Pataskar to implement it. In fact, Mr. Pataskar is not the originator of this formula. The formula was laid down by the Chief Ministers themselves,

and this was confined only to those villages. Now, our Maharashtra friends want this to be applied to the entire country and to disturb the re-organisation of the entire country. Logically I ask: why not on the mohalla basis?

SHRI S. M. JOSHI: Administrative unit.

SHRI J. MOHAMED IMAM: In Hubli there is a Maharashtra division. Bangalore is contiguous to Hosur, in Tamil Nadu area. In fact, the families are in a majority there and they will claim it on this basis. So also Kolar. So, if you accept this village unit formula, the entire country will be in a turmoil, you will have to reopen the whole thing, and put a Berlin wall in every village and town.

SHRI S. M. JOSHI (Poona) : Why did you ask for Bellary?

SHRI J. MOHAMED IMAM: Administrative convenience.

SHRI S. M. JOSHI: It was there, not here?

SHRI J. MOHAMED IMAM: Our friends are so particular about Belgaum.

SHRI S. M. JOSHI: Of course, because it is a question of ten lakhs of people, they are not chattel.

SHRI J. MOHAMED IMAM: Whenever there is conflicting opinion, whenever there is a dispute, it is the opinion of an impartial tribunal that must prevail. This Belgaum city has been subjected to the judicial scrutiny of two impartial bodies consisting of eminent judges and jurists, whose sincerity and *bona fides* you cannot question. The Fazl Ali Commission went into the whole matter and assigned Belgaum to Mysore.

SHRI S. M. JOSHI: They had also given Bellary to Andhra.

SHRI J. MOHAMED IMAM: The Mahajan Commission went there, studied the entire thing and assigned it to Mysore. Are you going to be guided by the impartial opinion of these two judicial bodies or are you going to be guided by the interested opinion and the agitation of my Maharashtra friends?

SHRI S. M. JOSHI: There are ten lakhs of people. Ask them what they want.

SHRI J. MOHMED IMAM: If people do not have regard for their own words or attach solemnity or sanctity to the verdict of an impartial body, it will become an endless quarrel.

Boundary dispute means only dispute relating to the boundary along Maharashtra, it cannot be converted into a regional dispute, but they want to claim Karwar and beyond. They say that Konkani is Marathi. Mahajan has studied it and he says that Konkani is not Marathi.

SHRI S. M. JOSHI: Why do you not ask the people?

SHRI J. MOHMED IMAM: We have asked the people of Goa. If Konkani was Marathi, Goa would have gone to Maharashtra.

SHRI SONAVANE (Pandharpur): Does he know Konkani to sit in judgment?

SHRI J. MOHMED IMAM: I know that it is allied to Kannada.

SHRI S. M. JOSHI: That is what you think. So, I said, if this boundary dispute has become so serious, it is because of the attitude taken by our Maharashtra friends. It is because of their failure to honour the commitment. Also, it is due to our Home Minister, for whom I have great regard, because from the beginning he has failed to take a definite decision. He is trying to scuttle it. (*Interruption*)

SHRI SONAVANE: What about the atrocities committed by the Mysore Government on the Maharashtra people? (*Interruption*)

SHRI J. MOHMED IMAM: As soon as the report came, why did they not accept it? (*Interruption*) Sir, this agitation has been backed up by Shiv Sena and other forces. I have a cutting here which says some Members of Parliament want to revive the agitation. Let them see justice. By justice, any dispute can be solved. But if they still continue like this, what could be done? So, taking the present political situation into consideration, taking all these aspects into consideration, I think the Maharashtrais are emboldened with the

help of the Chief Minister, with the help of the Home Minister and also the Shiv Sena, and they want to create trouble, and dominate and threaten the people of Mysore. Sir, on behalf of the people of the State of Mysore, let me say that we can withstand any onslaught; we are not cowards. I would appeal to the Home Minister that he should be frank and straight forward. Did not the Home Minister say that the Commission's report would be accepted? Why go back on that assurance? That is not the way. Politics is religion. You must have discipline. Yesterday Shri S. K. Patil said that democracy cannot be a success unless it is based on discipline and character. Here, where is the discipline? Is there discipline in the Government itself? When they refused to accept the report, what does it show? Is it discipline? Is it character?

So, with these words, I request them to accept the Mahajan report. You are bound to accept it; in honour, accept it. Accept the report of the Mahajan Commission, who took a lot of trouble and went round and examined a number of witnesses. Many lawyers appeared before the Commission. Please accept it. Because the Belgaum question is there though two Commissions have given a verdict that Belgaum should go to Mysore please do not make the matter more complicated and bitter.

I would respectfully advise my friends here not to resort to violence or to do anything, because threats of doing something are already there. In the interests of the country, let them accept the report. I am sure they are more Indians than Maharashtrais.

श्री एस० एम० जोशी : यह इन्होंने क्या कहा—वे लोग ज्यादा इण्डियन्ड हैं—देन महाराष्ट्रियन्ड । इस का क्या मतलब है ?

SHRI J. MOHMED IMAM: I want them to be first Indians, and then Maharashtrais. (*Interruption*)

SHRI PILOO MODY: He is taking objection to a compliment!

MR. CHAIRMAN: Order, order. No objection can be taken. Please maintain order in the House. Now, Shrimati Sangam Laxmi Bai. I have to make it clear that your party has al-

[Mr. Chairman]

ready taken more time than was allotted to its share. Therefore, kindly take a few minutes only.

श्रीमती लक्ष्मी बाई (मेडक) : सभापति जी, मैं होम मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देती हूँ। और उन की डिमाण्ड पर बोलना चाहती हूँ। उन की डिमाण्ड को सपोर्ट करते हुए, हमारी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ दुख हैं, उन को बतलाना चाहती हूँ। कल से हम अपने दुख को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं तेलंगाना के बारे में बोलना चाहती हूँ। तेलंगाना के बारे में आप सब सहमत हैं, लेकिन हमारे होम मिनिस्टर सहमत नहीं हैं। सब सुनते हैं, लेकिन आपने काम करना बन्द कर दिया। इन पर मुझे बहुत श्रद्धा है। जब ये बम्बई से सेन्टर में आये तो हम ने समझा कि संजीव आ रहा है। लेकिन आज इस संजीव को क्या हो गया है, मालूम नहीं। तेलंगाना के बारे में वहाँ के बच्चे और बड़े बहुत नाराज हैं। आज के बच्चे कल मिनिस्टर बनेंगे, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आप तेलंगाना के एक करोड़ 30 लाख लोगों को नाराज करके क्या करने वाले हैं, यह समझ में नहीं आता है। 14 महीने बीत गए हैं, वहाँ पर 50 हजार टीचर्स हड़ताल पर हैं। लेकिन आप कुछ भी खयाल नहीं करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका इन्टेलिजेन्स ब्यूरो क्या कर रहा है जिसके लिये आप इस सदन से इतना पैसा मांग रहे हैं। पहाड़ों में जाली करेन्सी नोट्स चल रहे हैं, गोल्ड स्मगलिंग हो रही है, अभी दो दिन पहले श्री ज्योति बसु की हत्या करने का प्रयास किया गया, आज उनको गोली मारी गई तो कल दूसरों को मारी जायेगी फिर पता नहीं, आपका इन्टेलिजेन्स ब्यूरो क्या काम करता है? क्या इसी तरह से आप कन्ट्रोल करेंगे? क्या आपको नहीं मालूम कि तेलंगाना में इसी प्रकार से 14 महीने गुजर गए हैं लेकिन फिर भी आपके दिल में तेलंगाना के लिए कोई रहम नहीं पैदा होता है। आप यह ऋबूल किये हैं कि यह मास मूवमेन्ट है और फिर कहते हैं

कि रास्ता नहीं निकलता है। जो भार्गव कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट सितम्बर, अक्टूबर में आई लेकिन फिर भी आप ने इसकी चर्चा सदन में नहीं की। महाराष्ट्र मैसूर वाले इतना हल्ला गूला मचाते हैं तो उनकी बात को आप सुनते हैं लेकिन तेलंगाना के 1 करोड़ तीस लाख लोगों के लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजाकारों और कम्युनिस्टों के अत्याचार से पुलिस ऐक्शन के द्वारा हम लोगों को बचाया था लेकिन 14 महीने से सेप्रेट तेलंगाना का एजिटेशन चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई भी वहाँ आने का कष्ट नहीं करता—प्राइम मिनिस्टर नहीं आता और कोई दूसरे मिनिस्टर नहीं आते। तेलंगाना के लोगों की बात कोई भी नहीं सुनता। कोई आकर के पूछता भी नहीं। पैसे भी नहीं मिलते। 2864 मुलाजिम और 880 गजेटेड आफिसर्स को नुकसान पहुँचा है लेकिन आप कोई भी जांच नहीं करते। आप समझते हैं कि उनको इसी तरह से जलने मरने दिया जाये। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि होम मिनिस्ट्री किस बात के लिए है? मरने वालों को कोई भी नहीं पूछता। चीफ मिनिस्टर का वहाँ से टेलीफोन आ जाये तो आप वहाँ पर हजारों पुलिस भेज देंगे, क्या यही आपका काम है? वहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जाते, टीचर्स बाहर हैं, उनके पीछे पुलिस लगी हुई है लेकिन फिर भी आपको कोई रहम नहीं आता। आपको देखना चाहिए कि वहाँ पर हैदराबाद में क्या हो रहा है।

आपने जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान 6 हजार करोड़ रुपये का बनाया है वह किस लिए बनाया है? क्या सिर्फ सेन्ट्रल पुलिस के लिए बनाया है? किसी भी स्टेट में डेवलपमेन्ट का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पुलिस बढ़ाने का काम ही हो रहा है। जिस प्रकार से एक बच्चा जब रोता है तो उसको गुलगुल दिखाकर बहुलाया जाता है तो उस तरह से काम चलने वाला नहीं है। बच्चे को दूध देना चाहिए। आखिर इस तरह से कबतक काम चलेगा? वहाँ की वास्तविक स्थिति को समझना जरूरी है। आप पुलिस

से कबतक कन्ट्रोल करेंगे ? आप वहां पर कुछ देते नहीं, किसी की बात सुनते नहीं और कुछ करते नहीं । यहां पर हरयाणा नजदीक है, चन्डीगढ़ नजदीक है, पंजाब नजदीक है, वह हल्ला मचाते हैं तो उनकी बात को आप सुन लेते हैं । महाराष्ट्र और मैसूर वाले शोर मचाते हैं तो उनकी बात भी सुनी जाती है लेकिन तेलंगाना की बात को कोई भी सुनने वाला नहीं है । तेलंगाना का कहीं नाम भी नहीं आता है । तेलंगाना के बारे में मोशन लाया जाये तो वह डिसएलाऊ कर दिया जाता है । कोई सवाल पूछा जाये तो उसको भी एलाऊ नहीं किया जाता है । तो इस तरह से कबतक काम चलेगा, यह मैं जानना चाहती हूं । तेलंगाना के बारे में कोई परवाह ही नहीं करता है । भागव कमेटी की रिपोर्ट आई है, जिसमें कुछ रूका नहीं है । रीजनल कमेटी के चैयरमैन का दावा है कि तेलंगाना के बारे में 107 करोड़ की मांग है । 107 करोड़ रुपये का हमारे साथ अन्याय हुआ है । अगर यह रुपया हमारे ऊपर खर्च किया जाता तो हम बहुत मजबूत होते और हम किसी के मोहताज नहीं होते । लेकिन हमारे साथ सेकेन्ड क्लास सिटिजन का सा व्यवहार किया जा रहा है । यह कहना है कि रीजनल कमेटी में तेलंगाना के विकास के बारे में अगर कोई बात तय की जाती है तो उस पर अमल होना चाहिये, लेकिन वह चीज मुख्य मंत्री पर बाईपास नहीं है । और उस के खिलाफ हम गवर्नर को अपील कर सकते हैं । पर वस्तु स्थिति यह है कि होता वही है जो चीफ़ मिनिस्टर चाहता है ।

स्थिति यह है कि आन्ध्र और तेलंगाना दोनों ही एक दूसरे से नाराज हैं । आज ही अखबार में मैं ने श्री लाचन्ना का एक वक्तव्य देखा जिस में उन्होंने ने कहा है कि हम इस बात का स्वागत करेंगे यदि तेलंगाना आन्ध्र से अलग कर दिया जाय । उन का कहना है कि हम इस एडमिनिस्ट्रेशन से फ्रैंड अप हैं । कहा जाता है कि तेलंगाना का विकास हुआ है । लेकिन मैं पूछती हूं कि हमारा क्या डेवलपमेंट हुआ है ? हम तो पहले से ही हैदराबाद स्टेट के अंग

थे, हमारा हाई कोर्ट था, हमारी यूनिवर्सिटी थी और 1200 मील की रेलवे थी । हम तो किसी के मोहताज नहीं थे । फिर आप कैसे कहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो गया । जब कि वस्तु स्थिति यह है कि जब से अलग होने की मांग हो रही है, और जिस को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, हमारा विकास होने के बजाय नुकसान ही हो रहा है । हमारे बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है । हमारे बच्चों की पढ़ाई दो साल पीछे हो गयी है । साथ ही लोगों की सीनियारिटी और नियुक्ति में भी नुकसान हुआ है । इस नुकसान को रुपयों में नहीं आंका जा सकता ।

हम कहते हैं 107 करोड़ और गवर्नर बोलता है कि 40 करोड़, भागव साहब बोलते हैं 28 करोड़ और आप बोलते हैं 26 करोड़ । यह क्या तमाशा है ? कब तक हम ये बातें सुनते रहेंगे । आप लोगों ने कहा है कि हर साल 10 करोड़ ६० खर्च करेंगे । इस से हमारा काम नहीं चलेगा । आप को मालूम होना चाहिये कि भागव कमेटी ने आठ पॉइंट प्रोग्राम रखा है । प्रेसीडेंट के इन्स्ट्रक्शन हैं कि हर 6 महीने चीफ़ मिनिस्टर तेलंगाना के बारे में इन्कम और ऐक्सपेंडिचर की रिपोर्ट असेम्बली की मेज पर रखेंगे, और अगर वह न रखी जाय तो रीजनल कमेटी वाले गवर्नर को अपील कर सकते हैं । अब आप बतायें कि क्या कोई गवर्नर चीफ़ मिनिस्टर के खिलाफ़ कुछ बोल सकता है, या कर सकता है । आज कल गवर्नर की क्या ताकत है ? हमारे यहां के गवर्नर बिल्कुल बूढ़े हैं जो चल नहीं सकते हैं, और वह सर्वोदय वाले आदमी हैं जो स्वभावतः किसी को डरा धमका भी नहीं सकते । इन सब बातों और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मेरी गृह मंत्री जी से प्रार्थना है कि तेलंगाना की समस्या के बारे में वह कुछ न कुछ करें । तेलंगाना सेपरेट होना चाहिये । हजारों साल से हम सेपरेट हैं । हमारी एक काबिल स्टेट थी । अगर इतिहास पर नज़र डाली जाय तो आप पायेंगे कि आन्ध्र और तेलंगाना कंडीशनली जोड़े गये हैं और यदि तेलंगाना वाले

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

उन के साथ नहीं रहना चाहते, दस साल तक हमारी कोई उन्नति नहीं होती तो यह प्रोवीजन है कि तेलंगाना के जितने एम० एल० एज० हैं यदि उन में से दो तिहाई इस पक्ष में हों कि तेलंगाना को अलग होना चाहिये तो हम अलग हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान आन्ध्र के जो मुख्य मंत्री हैं उन्होंने ने अधिकतर एम० एल० एज० को अपने साथ कर लिया है जिसका परिणाम यह हुआ कि अब हमारा उतना बहुमत नहीं है।

बच्चा जब किसी नाटक में श्री राम का वेष धारण करता है तो उस को वैंसा ही व्यवहार करना पड़ता है। और अगर वह ऐसा न करे तो दर्शकों के बीच उस की हंसी होगी। लेकिन आजकल के केन्द्रीय नेता ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जो सभा की दृष्टि से देखें और वैंसा ही आचरण करें। परिणाम यह है कि समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और लोगों की भावनाओं को दबाया जा रहा है, उस की उपेक्षा की जा रही है। यही कारण है कि तेलंगाना वाले आप से नाराज हैं। सम्भवतः संसद लीडरशिप यह सोचती है कि अगर तेलंगाना की पृथक मांग को मानते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कल को झारखंड की, विदभं की समस्या भी खड़ी हो सकती है। इसलिये हमारे साथ केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं करना चाहती। मगर मैं आप को चेतावनी देना चाहती हूँ कि यदि आज आप हमारी मांग नहीं मानेंगे तो कभी न कभी आप को तेलंगाना को अलग करना ही पड़ेगा। आन्ध्र गवर्नमेंट की रिपोर्ट यहां पर आई है कि वहां पर इतनी बसें जलाई गईं और इतनी तोड़ दी गईं लेकिन ये लफ्ज नहीं हैं कि इतने लोग मरे और इनकी इतनी गिनती है। जो ये कमियां हैं उनको पूरा करने की कोई परवाह नहीं करते हैं और रिपोर्ट में लिखते नहीं हैं। यही सब बातें मुझे कहनी थी।

सभापति जी, आप का बहुत बहुत धन्यवाद। आप की वजह से मैं बोल सकी, नहीं तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता।

श्री राम गोपाल शालबाले (चान्दनी चौक) :
उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में अनेक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं अनुभव करता हूँ कि इस मंत्रालय का कर्तव्य है कि देश की यथार्थ स्थिति का अध्ययन करके सामयिक समस्याओं को तुरन्त हल करे। इस समस्या का हल राजनीतिक दलबन्दी, वैयक्तिक दबाव अथवा प्रभाव पर नहीं किन्तु यथार्थता पर आधारित होना चाहिए। इसी सम्बन्ध में मैं कुछ विचार यहां व्यक्त करना चाहता हूँ।

सबसे पहले मैं हिन्दू कोड बिल के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने हिन्दू कोड बिल पास किया और इस का प्रभाव केवल हिन्दू जाति तक ही सीमित है। ऐसा क्यों है जबकि भारत एक धर्म-निर्पेक्ष राज्य है और इसमें किसी विशेष धर्म या किसी विशेष मजहब का सवाल नहीं है। चाहिए तो यह था कि सरकार समान रूप से एक आचार-संहिता का निर्माण करती और हिन्दू कोड बिल के बजाय इन्डियन कोड बिल बनाती। आज इस का दुष्प्रभाव यह हो रहा है कि बिगड़े हुए हिन्दू और सिक्ख दूसरी शादी करने के लिये अपना धर्म-परिवर्तन करते हैं और धर्म-परिवर्तन कर तब दूसरी शादी करते हैं। मैं बहु-विवाह का समर्थक नहीं हूँ लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ आपकी सेवा में कि अगर आप ने हिन्दुओं पर प्रतिबन्ध लगाया है तो इससे मुसलमानों को क्यों मुक्त रखा। मेरा कहना यह है कि हिन्दू कोड बिल के स्थान पर इन्डियन कोड बिल बनना अत्यन्त आवश्यक है।

गुडगांव जिले की नूह तहसील में मुसलमान देवियों ने, जिनकी संख्या 100 थी, एक बहुत बड़ा जलूस निकाला और मतालबा किया कि मुसलमानों पर भी प्रचलित बहु-विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। आप ने इस बिल को मुसलमानों पर लागू नहीं किया, मैं उस का विरोध करता हूँ और मांग करता हूँ कि हिन्दू कोड बिल को इन्डियन कोड बिल का रूप देकर एक समान आचार-संहिता का निर्माण किया

जाए और मुसलमानों में बहु-विवाह की कुप्रवृत्ति को समाप्त किया जाए ।

दिल्ली मंड्रोपोलिटन कौंसिल में एक कांग्रेस सदस्य ने, जनसंघ के सदस्य ने नहीं, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि एक समान आचार-संहिता बननी चाहिए और इस प्रकार का एक कानून बनना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बहु-विवाह नहीं कर सकता चाहे वह हिन्दू हो, चाहे वह मुसलमान हो और चाहे वह सिक्ख हो और वह प्रस्ताव सर्व-सम्मत से पारित किया गया । इसलिए मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस पर गहराई से विचार करें और जो संरक्षण हिन्दू देवियों को दिया हुआ है उससे मुस्लिम देवियों को वंचित न करें । वह संरक्षण मुस्लिम देवियों को क्यों नहीं दिया गया है और जब वे उस का मतालबा करती हैं, तो उस को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता है ।

इसके साथ ही साथ मैं दुख के साथ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए 23 साल बीत गये हैं और भारत सरकार हरिजनों की समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ रही है और पिछड़े हुए वर्गों पर अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं देश में घटित हो रही हैं । अभी गुडगांव जिले के अन्दर एक विवाहित लड़की का अपहरण किया गया और अपहरण करनेवाले एक मुस्लिम सज्जन थे । लड़की को उड़ा लिया गया । लड़की के पिता ने पुलिस में इत्तला की और गृह मंत्रालय को पत्र लिखे और अपहरण करनेवाले का नाम तक बता दिया, लेकिन वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है ।

श्री रणधीर सिंह : यह तो कोई बात नहीं है, हिन्दू भी भगा ले जाते हैं ।

श्री राम गोपाल शाल्वाले : हां, हिन्दू भी भगा ले जाते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस के बारे में गृह मंत्रालय विचार करे ।

दूसरी एक और घटना मैं बताऊंगा जो कि दानापुर (बिहार) में हुई । समाचारपत्रों में उस हरिजन लड़की, जिसका नाम दुईजी है, की तस्वीर निकली है । वह एक करोड़पति के घर में उपले थापने गई थी और वहां पर उस करोड़पति के लड़के ने उस का अपहरण किया और उस के साथ बलात्कार किया । पुलिस में रिपोर्ट कराई गई पर पुलिस ने उस को गिरफ्तार नहीं किया और उस को और उस की मां को वहां से भाग जाने पर मजबूर किया गया । उस के बाद उस लड़की को उड़ा दिया गया और पुलिस ने उस को बरामद किया । लेकिन वह जो करोड़पति व्यक्ति जो एक मुसलमान भी है, उनके लड़के ने यह सब किया था, अभी तक उन लोगों में से—न बाप न बेटे—किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है । कल के समाचारपत्रों में यह सारी कहानी प्रकाशित हुई है । मैं गृह मंत्रालय से और श्री चहुवाण साहब से कहना चाहता हूँ कि वह इस प्रकार की घटनाओं को देश के अन्दर रोकने की कोशिश करें ।

एक और घटना घटी है पटियाला जिले के अन्दर । वह है शहीदगढ़ गांव के अन्दर ग्राम पंचायत ने हरिजनों के मकानों के आगे दीवारें खड़ी कर दी ताकि हरिजन अपने घर से निकल न सकें और अपने घरों में घुस न सकें । इस प्रकार का अत्याचार वहां हरिजनों के साथ किया जा रहा है । इसके साथ साथ यहां पर हरिजनों की बेकारी, हरिजनों की बीमारी और उनकी गरीबी का पूरा लाभ उठाकर विदेशी मिशनरियां जिनकी संख्या गृह मंत्रालय के अनुसार साढ़े 6 हजार है, वह उनका धर्म परिवर्तन करते हैं और वह उनको भारत विरोधी बनाकर खड़ा कर देते हैं । मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान दे और अपने कर्तव्य का पालन करे ।

1963 में गृह मंत्रालय को 170 सेवशन आफिसरों की नियुक्ति करनी थी, लेकिन उन 170 में से एक भी हरिजन नहीं था और जब गृह मंत्रालय से एक संसद सदस्य ने पूछा तो उनको बताया गया कि कुछ प्रभावशाली पार्लियामेंट

[श्री राम गोपाल शालवासे]

के मैम्बरों ने जाकर गृह मंत्रालय को प्रभावित किया और उनके प्रभाव में आकर उन्होंने 170 आदमी नियुक्त किए। मैं आज जानना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी से कि उन 170 लोगों को नियुक्त करने के लिए जिन सदस्यों ने प्रभाव डाला और हरिजननों का विरोध किया, उनके नाम बताये जाएं।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी राज्य में सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाईकोर्ट के जजों को जो वेतन मिलता था, हमारा संविधान जिस समय निर्माण किया गया तो वह वेतन कम कर दिया गया और इन 23 वर्षों में महंगाई कितनी हो गई है, यह गृह मंत्री जी जानें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के और हाईकोर्ट के जजों के वेतन में वृद्धि नहीं हुई। उनको जो सुविधाएं हमारे मंत्रियों को मिलती है वह नहीं मिली हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि योग्यतम व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में और हाईकोर्ट में जज बनें, उनके लिये आप उनकी योग्यता के अनुसार उनके वेतन में वृद्धि करें।

जम्मू काश्मीर के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि लद्दाख, जम्मू और काश्मीर राज्य के अन्दर है, लेकिन जम्मू और लद्दाख के साथ जो व्यवहार किया जाता है उस पर बार-बार इस सदन में आवाज उठाई गई। जम्मू में आपको चावल दो रुपये सेर मिलता है, जब कि काश्मीर में छह आने सेर है। नौकरियों में लद्दाख और जम्मू के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री कुशोक बकुला ने जो निवेदन किया है वह उनके हृदय की आवाज है। इसके साथ साथ मैं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और वह है गोहत्या-बन्दी का मसला। आपने बार बार यहां पर आश्वासन दिया कि कई राज्य गोहत्या बन्द कर चुके हैं, और केवल बंगाल और नागालैंड बाकी हैं, उन पर भी हम दबाव डाल रहे हैं कि वह बन्द करें। ऐसा

हमको श्री जगजीवनराम जी ने बताया लेकिन मैंने कल प्रश्न पूछा था कि कितने टन गाय का चमड़ा भारत सरकार द्वारा निर्यात किया जाता है तो जवाब दिया गया कि 1967 में 1033 टन का निर्यात हुआ जिसकी कीमत 157 लाख थी। इसके अतिरिक्त 1968-69 में 4243 टन, जिसकी कीमत 580 लाख थी, और 1970-71 के जो आंकड़े दिये गये हैं उसमें बताया गया है कि 1970-71 में 592 1/2 टन बछड़े के चमड़े का निर्यात किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ गृह मंत्री महोदय से कि जब बार बार आप सदन में आश्वासन देते हैं कि हम गोहत्या बन्द कर रहे हैं, वहां आपने 1970-71 में जो निर्यात करना है वह 592 लाख टन है, जब कि 1967 में आपने 157 लाख टन का निर्यात किया। तो क्या आप गोहत्या बन्द कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। इतना निर्यात तो आपने केवल बछड़े के चमड़े का करना है। और गायों के चमड़े के बारे में प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि गायों के चमड़े के बारे में हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

मैं समझता हूँ कि जिस अबाध गति से आज गायों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और गाय की नसल को यहां पर समाप्त किया जा रहा है उस का उदाहरण संसार में अन्यत्र नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अग्र सरकार चाहती है कि देश के अन्दर सुख समृद्धि हो तो उस का कर्तव्य है कि इस देश के 45 करोड़ लोगों के हृदय की भावनाओं का आदर करते हुए गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दे। अगर सरकार ने गोहत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो मैं सदन को बतलाना चाहता हूँ कि एक प्रचंड आन्दोलन गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिये छेड़ा जायगा और दुनिया की कोई ताकत उस आन्दोलन को रोक नहीं सकेगी। यह 45 करोड़ लोगों की भावनाओं का आदर व सम्मान करने का सवाल है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह खेद का विषय है कि सरकार मामूली मामूली सबालों पर जोकि केवल थोड़े लोगों द्वारा उठाये जाते

हैं उन पर ध्यान देती है लेकिन इस देश के प्रबल बहुमत की मांग पर सरकार विचार नहीं करती है और उनकी भावना का आदर नहीं करती है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में अपने कर्तव्य का पालन करे।

इस के अतिरिक्त मैं बतलाना चाहता हूँ कि अंग्रेजी राज्य में केवल कुछ राय बहादुर, राय साहब, सरदार बहादुर और खान बहादुर ही अंग्रेजी सरकार के समर्थक थे लेकिन हमारे देश की बदकिस्मती है कि आज इस देश के अन्दर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग बड़ी बड़ी संस्थाएँ लिये बैठे हैं, कोई चीन का समर्थक है, कोई पाकिस्तान का समर्थक है, कोई रूस का समर्थक है तो कोई अमरीका का समर्थक है। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि उस ने क्या तरक्की की है? आप कहते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भारत पीछे जा रहा है। पूरी तरह से यहाँ राष्ट्रीयता का सत्यानाश किया जा रहा है और हमारा गृह मंत्रालय है कि टुकर टुकर इन सब बातों को देखता है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है।

इस के अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर फिल्मों का एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था और उस के दौरान प्रदर्शित चित्रों में नग्नता के दृश्यों को दिखाया गया था... (व्यवधान)... मैं ऐसी गंदी जगह नहीं जाता हूँ। आप ही सोचिये कि आज नौजवान अगर मुझे सिनेमा के अन्दर जाते देखेंगे तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इसलिए मैं सिनेमा आदि ऐसी जगहों पर नहीं जाता हूँ। मैं अन्य नेताओं को भी कहना चाहता हूँ कि वह भी ऐसे गंदे स्थानों पर न जाया करें जहाँ कि इस तरह नग्नता और अश्लीलता का प्रदर्शन होता हो। दूसरों को ऐसे स्थानों पर जाने से मना करने के पहले हमें स्वयं अपने आचरण और व्यवहार द्वारा बँसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये। ऐसा हम न करें कि खुद तो जायें और बाहर आकर दूसरों को हम उपदेश दें कि वह ऐसे गंदे स्थानों पर न जायें। मैं बँसा व्यक्ति

नहीं हूँ कि कहूँ कुछ और कलूँ कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वही करता भी हूँ।

मैं कहना चाहता हूँ कि आप ने खोसला कमीशन की स्थापना की और वह इसलिए नियुक्त किया कि भारतीय फिल्मों में सुधार किया जा सके लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन खोसला साहब ने नग्नता के प्रदर्शन का समर्थन किया है जिसके खिलाफ देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आवाज उठी है। सरकार ने इस कमिशन का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसका चरित्र नहीं है, जिसका खानपान पवित्र नहीं है, जिसके बारे में लोगों को शक है, ऐसे खोसला साहब को इस प्रकार के जांच कमिशन का आप ने अध्यक्ष बना दिया और उस ने ऐसी सिफारिश कर दी जो कि हमारी परम्पराओं के सर्वथा विपरीत है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उस पर विचार करें और देश में व्याप्त नग्नता और अश्लीलता को दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठायें। ऐसी फिल्में जिनमें अश्लीलता और नग्नता का प्रदर्शन होता हो वह बंद होनी चाहिएँ क्योंकि इस से हमारे देश के नवयुवकों के चरित्र को नष्ट करने की बात होती है। मैं आशा करता हूँ कि मैं ने जो चंद एक बातें आप के सामने रखी हैं उन पर आप विचार करेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मैं आप का धन्यवाद करता हूँ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सभापति महोदय, मैं बड़ा अनुमोदित हूँ कि आप ने मुझे आखिरी वक्त में बोलने का समय दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल जले जब फरियाद करते हैं तो आस्मान हिल उठता है। यहाँ मैं वर्दवान को लेना चाहता हूँ। वर्दवान में 17-3-70 को सेक्रेटरी युवक कांग्रेस मलय साई और प्रणव साई की पुलिस और एस० डी० ओ० के सामने हत्या की गई। उस खून से उन की मां का मुँह पोता गया। इस से बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? दिन दहाड़े उन के अफसर मौजूद हैं। आज उन अफसरों को स्पैड तक नहीं किया गया। मैं

[श्री शिव नारायण]

आप से कहना चाहता हूँ कि इस राज्य में कितना अन्धेर है। हम को डिसिप्लिन की बात बतलाई जाती है। लेकिन सब से पहले डिसिप्लिन को ब्रेक किया होम मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने।

18 hrs.

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

I have to bring it to the notice of the House that since the debate has been extended by some time and there are some Members here whose party is still left, we shall have to devote another forty minutes or so before the Home Minister is in a position to reply. Some of the unattached members like Shri Bakar Ali Mirza want to speak. Shri Bakar Ali Mirza has been requesting for the last two days. There are other Members also whose party is left. Tomorrow, before the Home Minister replies, about half an hour or about forty minutes will be devoted for these members so that they can all be accommodated.

Now we shall take up Discussion under Rule 193.

18.1 hrs.

DISCUSSION RE: NON-IMPLEMENTATION OF GAJENDRAGADKAR COMMISSION'S RECOMMENDATIONS IN REGARD TO JAMMU AND LADAKH

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति महोदय, कुछ दिन पहले जम्मू में एक विराट आन्दोलन हुआ था जिस में ढाई हजार के करीब लोग जेलों में गये। आन्दोलनकारियों में महिलायें भी शामिल थीं जिन की गोद में छोटे छोटे बच्चे थे। आन्दोलन का नेतृत्व जम्मू और काश्मीर के वयोवृद्ध नेता पं० प्रेमनाथ डोगरा ने किया। जिन के प्रति समान रूप से आदर की भावना सारे देश में व्याप्त है। जीवन के अन्तिम चरण में, 89 वर्ष की अवस्था में, शांतिपूर्ण तरीके से कानून का उल्लंघन कर के डोगरा जी को जेल क्यों जाना पड़ा, यह एक सार्वजनिक महत्व का विषय है।

यह आन्दोलन राजनीतिक नहीं था, आर्थिक मांगों को ले कर था। इतना बड़ा आन्दोलन जम्मू में पहले कभी नहीं हुआ। इस सदन को विचार करना होगा कि कौन से कारण हैं जिन से जम्मू की जनता इतनी असन्तुष्ट हो गई? कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिन्होंने जम्मू के नागरिकों को कारागार में जाने के लिये विवश किया?

जम्मू और काश्मीर भारत का अटूट अंग है। हमारा प्रयत्न होना चाहिये कि हम शेष भारत के साथ जम्मू और काश्मीर के सम्बन्धों को और भी मजबूत करें। लेकिन साथ ही यह भी प्रयत्न होना चाहिये कि जम्मू और काश्मीर के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन के बीच में विकास में, शिक्षा में, नौकरियों में जो असन्तुलन है उस का निराकरण करें। यह दुख का विषय है कि जम्मू और काश्मीर की सरकार गत अनेक वर्षों से जम्मू और लद्दाख के प्रति भेदभाव की नीति अपनाती रही है। इस नीति के विरुद्ध जनता में असन्तोष जागा है जिस के फलस्वरूप राज्य सरकार को केन्द्र के साथ परामर्श कर के श्री गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त करना पड़ा था। उस आयोग की रिपोर्ट आये हुए एक वर्ष से अधिक हो गया, लेकिन अभी तक आयोग की सारी सिफारिशें लागू नहीं की गईं। जो असन्तोष है वह मुख्यतया आर्थिक विकास, नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व, शिक्षा सुविधाओं और राशन देने में जो भेद भाव होता है उस को ले कर है।

तीसरी योजना में केन्द्र की ओर से जम्मू-काश्मीर की सहायता के लिए 235 करोड़ रुपया ग्रांट्स इन एड और 190 करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया गया था। इस तरह से कुल मिला कर 425 करोड़ रुपया दिया गया था। इस में जम्मू-काश्मीर की स्वयं की आमदनी शामिल नहीं है। लेकिन इस 425 करोड़ में से जो जम्मू पर रुपया खर्च किया गया वह मुश्किल से पच्चीस प्रतिशत था और लद्दाख पर खर्च किया जाने वाला रुपया पांच फी सैकड़ा से अधिक नहीं था।